

<p>The Vice-President, B S E Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400 001 BSE CODE : 532134</p>	<p>The Vice-President, National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400 051 NSE CODE : BANKBARODA</p>
--	---

Dear Sir/ Madam,

Re : Bank of Baroda – Notice of Extraordinary General Meeting

We refer to our letter no BCC:ISD:116:16:108 dated 03rd April 2024 and advise that Extraordinary General Meeting of the shareholders of our Bank has been scheduled as per details given below:

1	Date/ Time	Wednesday, 15 th May 2024 at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)
2	Agenda/ Business	<ol style="list-style-type: none"> 1. Election of One Shareholder Director amongst the Shareholders other than the Central Government pursuant to the provisions under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 2. To consider and approve appointment of Shri Sanjay Vinayak Mudaliar, as an Executive Director of the Bank.
3	Specified / Cut-off date	<p>For agenda Item Number – 1: 12th April 2023 – To nominate, contest and vote at the meeting.</p> <p>For agenda Item Number – 2: 08th May 2024 - For attendance at the Meeting and voting.</p>
4	Remote E-Voting	From 9.00 a.m. on 10 th May 2024 to 5.00 p.m. on 14 th May 2024.
5	Last date for submission of nominations	30 th April 2024 upto 4.00 p.m.

We also annex a copy of EGM Notice for further details.

We request you to take notice under applicable provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and upload the information on your website.

Yours faithfully,

P K Agarwal
Company Secretary

असाधारण आम बैठक (ईजीएम) के लिए नोटिस
(एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव)
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
(Election of ONE Shareholder Director)

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) /
अन्य श्रव्य दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से
through Video Conferencing/
Other Audio Visual Means (VC / OAVM)

बुधवार, 15 मई, 2024
WEDNESDAY, 15TH MAY, 2024

bob
World



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda



निवेशक सेवाएं विभाग

बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, 7वां तल, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051.

ईमेल: investorservices@bankofbaroda.com

INVESTORS' SERVICES DEPARTMENT

Baroda Corporate Centre, 7th floor, C-26, G-Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051.

E-Mail: investorservices@bankofbaroda.com

विषय / CONTENTS

	पृष्ठ सं. Page No.
नोटिस / NOTICE	03
नोट / NOTES.....	05
नामांकन फॉर्म / NOMINATION FORM	49/50
घोषणा / DECLARATION	51/53
प्रस्तावित निदेशक द्वारा घोषणा एवं वचन-पत्र / DECLARATION AND UNDERTAKING BY A PROPOSED DIRECTOR	55/59

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय: अलकापुरी, बड़ौदा - 390 007

कॉर्पोरेट कार्यालय: बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, "जी" ब्लॉक,

बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई 400 051

वेबसाइट: www.bankofbaroda.in

Bank of Baroda**Head Office:** Alkapuri, Baroda - 390 007**Corporate Office:** Baroda Corporate Centre, C-26, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051

Website: www.bankofbaroda.in

नोटिस

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यवाही के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से बुधवार, दिनांक 15 मई, 2024 को प्रातः 11.00 बजे किया जाएगा:

मद संख्या 1:

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद जिसे "विनियमन अधिनियम" कहा गया है), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद इसका उल्लेख "योजना" के रूप में किया गया है) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9(3)(i) और अधिनियम की धारा 19 के अनुसार निर्मित, बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 (इसके बाद इसका उल्लेख "विनियमन" के रूप में किया गया है) यथा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं, 2015, इसके बाद इसका उल्लेख लिस्टिंग विनियम के साथ में किया गया है) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अशासकीय निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2015 तथा दिनांक 20 जुलाई 2016 को जारी दिशानिर्देशों (इसका उल्लेख "भारत सरकार के दिशानिर्देशों" के रूप में किया गया है) तथा आगे अन्य संशोधन, यदि कोई हो के साथ पठित, भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश संख्या डीबीआर.एपीपीटी.सं. 9/29.67.001/2019-20 एवं अधिसूचना सं. डीबीआर.एपीपीटी. सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त 2019 (इसका उल्लेख "भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश" के रूप में किया गया है तथा आगे अन्य संशोधन, यदि कोई हो) के अनुसार बैंक के केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से, जिनके वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, एक निदेशक का चुनाव करना तथा चुनाव के बाद निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

ए) यह संकल्प पारित किया जाता है कि संबद्ध योजना के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(3)(i), उसके अंतर्गत निर्मित विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, जिन्हें केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से एक निदेशक के रूप में चुना गया है, उन्हें एतद्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, और इनके द्वारा घोषणा के तत्काल बाद की

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of Bank of Baroda will be held on **Wednesday, 15th May, 2024 at 11.00 a.m. through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC / OAVM)**, to transact the following business:

Item Number 1:

To elect ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (here in after referred as "the Regulation Act"), the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") and RBI Master Direction Nos. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 and Notification Nos. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "**RBI Master Directions**") and further amendments thereto, if any) read with Guidelines dated 25th March 2015 and dated 20th July 2016 issued by Government of India for consideration as Non Official Directors of Public Sector Banks (hereinafter referred to "**GOI Guidelines**") and further amendments thereto, if any, and pass the following resolution:-

a) "RESOLVED THAT One Director elected from amongst Shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI Master Directions and GOI Guidelines, be and is hereby appointed as a Director of the Bank to assume office from the date next to the declaration

तारीख 16 मई, 2024 से कार्यभार ग्रहण किया जाएगा और ये 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक अपने पद पर बने रहेंगे/बनी रहेंगी।”

i.e. **16th May 2024** and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption”.

उपरोक्त संकल्प को सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियमन 25 (2ए) के प्रावधानों के तहत भी पारित माना जाएगा।

The aforesaid Resolution shall also be considered to be passed under the provisions of Regulation 25 (2A) of SEBI Listing Regulations.

मद संख्या 2:

निम्नलिखित संकल्प पर एक सामान्य संकल्प के रूप में विचार करना एवं उचित पाए जाने पर उसे पारित करना:-

Item Number 2:

To consider and if thought fit to pass the following as an Ordinary Resolution:-

“यह संकल्प पारित किया जाता है कि समय-समय पर यथा संशोधित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1 सी) के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा दिनांक 30 जनवरी, 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार, 31 जनवरी, 2024 से 31.12.2025 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री संजय विनायक मुदालियर की नियुक्ति को एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Sanjay Vinayak Mudaliar, as an Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification dated 30th January 2024 issued by Government of India, w.e.f. 31st January 2024, for the remainder of his term i.e upto 31.12.2025 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved.”

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

By Order of Board of Directors
For BANK OF BARODA





देबदत्त चांद

Debadatta Chand

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Managing Director & CEO

स्थान: मुंबई

दिनांक: 3 अप्रैल, 2024

Place: Mumbai

Date: 3rd April, 2024

नोट:

1. व्याख्यात्मक विवरण:

बैठक की कार्यवाही के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के जरिए असाधारण आम बैठक (ईजीएम):

- एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने मई 2020 से जारी विभिन्न परिपत्रों और दिनांक 05 मई, 2022 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 तथा परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 के माध्यम से कंपनियों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर, 2024 तक अपनी असाधारण आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। एमसीए द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्रों के अनुरूप सेबी ने भी अपने परिपत्र दिनांक 06 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से सूचीबद्ध संस्थाओं को छूट प्रदान की है।
- उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की असाधारण आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से किया जा रहा है। ईजीएम के आयोजन का स्थान वडोदरा स्थित बैंक का प्रधान कार्यालय माना जाएगा।

3. प्रॉक्सी और अधिकृत प्रतिनिधि/ प्रतिनिधियों की नियुक्ति:

चूंकि यह बैठक वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित हो रही है, इस ईजीएम बैठक में उपस्थित रहने तथा शेयरधारकों के लिए वोट देने हेतु प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

हालांकि, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी / इकाई के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, संबंधित बैठक जिसमें इसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति के रूप में सत्यापित कर इसे v-raju.sv@kfintech.com / companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् गुरुवार, 09 मई, 2024 को सायं 4.00 बजे अथवा इससे पहले नहीं भेज दी जाती है।

NOTES:

1. Explanatory Statement:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM) THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

- MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide various circulars issued since May 2020 including the General Circular No. 02/2022 issued on 05th May 2022 and Circular No. 09/2023 dated 25th September 2023, permitted companies to hold their EGM through VC/OAVM by 30th September 2024. SEBI has also in line with the aforesaid circulars issued by MCA, granted relaxations to listed entities vide its Circular dated 06th October 2023.
- In compliance with the above guidelines, Extraordinary General Meeting of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). **The deemed venue for the EGM shall be the Head Office of the Bank at Vadodara.**

3. Appointment of Proxies and Authorised Representative(s):

As the Meeting is being held through VC / OAVM, the facility to the Shareholders to appoint proxy to attend and vote at the meeting is not available for this EGM.

However, no person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been sent by email to v-raju.sv@kfintech.com / companysecretary.bcc@bankofbaroda.com not later than four days before the date of meeting i.e., on or before 4.00 p.m. on Thursday, 09th May 2024.

4. ईजीएम में प्रतिभागिता

बैंक ने नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को असाधारण आम बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु तथा ईजीएम के आयोजन के लिए एटेंडेंट इनेब्लर्स के रूप में नियुक्त किया है।

वीसी / ओएवीएम के संबंध में ईजीएम के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसरण में:

ए) शेयरधारक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट करने के लिए उन्हें प्रदान की गई लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए बैठक में भाग ले सकते हैं। बैठक स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

बी) शेयरधारक की ओर से उपस्थित होने और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति सुविधा उपलब्ध नहीं है।

सी) कॉर्पोरेट निकाय वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और भाग लेने तथा ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए पात्र हैं।

- शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के 15 मिनट पहले ईजीएम में शामिल हो सकते हैं। ईजीएम में फीफो (FIFO) आधार पर 1000 तक शेयरधारक भाग ले सकते हैं।
- बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्षों, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि के संबंध में ईजीएम में फीफो के कारण प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों (शेयरधारकों के लॉगिन) की गिनती बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।
- ईजीएम आयोजन संबंधी नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर अपलोड किया जा रहा है। नोटिस को स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया

4. EGM Participation

The Bank has appointed National Securities Depository Limited (NSDL), to provide Video Conferencing facility for the EGM and the attendant enablers for conducting of the Meeting.

Pursuant to the provisions of the circulars of EGM on the VC / OAVM:

- a) Shareholders can attend the meeting through log in credentials provided to them to connect to Video Conferencing. Physical attendance of the Shareholders at the Meeting venue is not required.
- b) Appointment of proxy to attend and cast vote on behalf of the Shareholder is not available.
- c) Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the EGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.
 - The Shareholders can join the EGM -15- minutes before the time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in this Notice. Upto 1000 Shareholders will be able to join on a FIFO basis to the EGM.
 - There will no restrictions on account of FIFO entry into EGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.
 - The attendance of the Shareholders (Shareholders logins) attending the EGM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under the Bank of Baroda General (Shares and Meeting) Regulations, 1998.
 - The Notice calling the EGM is being uploaded on the website of the Bank at www.bankofbaroda.in. The Notice can also be accessed from the websites of the

लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी एक्सेस किया जा सकता है।

Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

5. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईजीएम से जुड़ने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देशः

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के द्वारा एजीएम/ईजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक एक्सेस के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके एक्सेस कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम संबंधी “Join General Meeting” मेनू के अंतर्गत “VC/OAVM Link” का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि Join General Meeting मेनू के अंतर्गत दिए गए VC/OAVM Link पर क्लिक करें। VC/OAVM का लिंक शेयरधारक/ सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का EVEN प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
2. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम/ईजीएम में शामिल होने की सुविधा एजीएम/ईजीएम के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खुलेगी और ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी।
3. शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
4. इसके अलावा सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने हेतु कैमरे की अनुमति के साथ अच्छी स्पीड में इंटरनेट का उपयोग करना होगा।
5. कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़े प्रतिभागियों को उनके अपने नेटवर्क में अप-डाउन के चलते ऑडियो / वीडियो में खराबी (बंद/रुक-रुक कर आने) की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अतः उपर्युक्त समस्याओं से बचने के लिए स्टेबल वाई-फ़ाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें।
6. ईजीएम से पहले / उस दौरान लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं

5. INSTRUCTIONS FOR THE SHAREHOLDERS FOR ATTENDING THE EGM THROUGH VIDEO CONFERENCING:

1. Member will be provided with a facility to attend the AGM/EGM through VC/OAVM through the NSDL e-voting system. Members may access by following the steps mentioned above for Access to NSDL e-voting system. After successful login, you can see link of “VC/OAVM link” placed under “Join General Meeting” menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
2. Facility of joining the AGM/EGM through VC / OAVM shall open 30 minutes before the time scheduled for AGM/EGM and will be available for Members on first come first served basis.
3. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
4. Further Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
5. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
6. Members facing any technical issue in login before / during the EGM can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com

या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।

or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

7. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में प्रतिभागिता करने वाले सदस्यों को कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

7. Members attending the EGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.

6. विनिर्दिष्ट/कट-ऑफ तारीख

6. Specified/Cut-Off Date:

बैंक ने निम्नलिखित विनिर्दिष्ट / कट-ऑफ तारीख निर्धारित की हैं:-

The Bank has fixed the following Specified / Cut-off dates:

कार्यसूची मद संख्या – 1 के लिए:

For agenda Item Number – 1:

केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक के चुनाव के लिए अर्थात् नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट करने में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के प्रयोजन से **शुक्रवार, 12 अप्रैल, 2024** निर्धारित है।

Friday, 12th April 2024 for determining the list of Shareholders entitled to participate in the Election i.e., to **Nominate, Contest and Vote** for the Election of ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government.

कार्यसूची मद संख्या – 2 के लिए:

For agenda Item Number – 2:

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान के लिए **बुधवार, 08 मई, 2024** निर्धारित है।

Wednesday, 08th May 2024, for attendance at the Meeting and voting.

7. मतदान का अधिकार

7. Voting Rights:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार को छोड़ तदनुसूची नए बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा।

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जाये। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम व्यक्ति ही असाधारण आम बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा बैठक में वोटिंग, यदि वोटिंग के अधिकार का प्रयोग दूरस्थ ई-वोटिंग के द्वारा नहीं किया जाता है, कार्यसूची पर मत देने का पात्र होगा।

As per Regulation 10 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the EGM and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the EGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

8. दूरस्थ ई-वोटिंग

8. Remote E-Voting

सेबी के (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसरण में, आपके बैंक को, शेयरधारकों को बैठक के नोटिस में उल्लेखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूरस्थ

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting

ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस विषय में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

- ए) बैंक ने ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु नेशनल सेक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को दूरस्थ ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।
- बी) दूरस्थ ई-वोटिंग हेतु प्लेटफॉर्म शुक्रवार, 10 मई, 2024 को सुबह 9.00 बजे से मंगलवार, 14 मई, 2024 को शाम 5 बजे तक (दोनों दिन सहित) पूरे समय खुला रहेगा।
- सी) दूरस्थ ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

कट ऑफ़ तारीख तक, अर्थात् शुक्रवार, 12 अप्रैल, 2024 (मद संख्या 1 के लिए) एवं बुधवार 08 मई, 2024 (मद संख्या-2 के लिए) को, मूर्त या अमूर्त (डिमैटेरिलाइज्ड) रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे।

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली हेतु एक्सेस

- ए) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ संचालित अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

- a) The Bank has appointed **National Securities Depository Limited (NSDL) as the remote e-voting agency** to provide the e-voting platform.
- b) The platform will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on Friday 10th May 2024 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on Tuesday, 14th May 2024 (both days inclusive).
- c) **Remote e-voting is optional.**

Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date(s) i.e. Friday, 12th April 2024 (for agenda item number -1) and Wednesday, 08th May 2024 (for agenda item number – 2)** may cast their vote electronically.

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

- A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode





In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.





डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक सदस्यों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन प्रक्रिया
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक।	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा IDeAS उपयोगकर्ता या तो पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर NSDL की ई-सर्विसेज वेबसाइट अर्थात् https://eservices.nsdl.com पर जा सकते हैं। ई-सर्विसेज होम पेज पर “Login” के अंतर्गत “Beneficial owner” आइकन पर क्लिक करें, जो ‘IDeAS’ सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है, यह आपको अपनी मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के संकेत देगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएं देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत “Access to e-Voting” पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। यदि आप आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। “Register Online for Portal IDeAS” चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	<ol style="list-style-type: none"> Existing IDeAS user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under ‘IDeAS’ section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select “Register Online for IDeAS Portal” or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन प्रक्रिया
	<p>3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल: https://www.evoting.nSDL.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलने के बाद, आइकन “लॉगिन” पर क्लिक करें जो ‘शेयरधारक/सदस्य’ सेक्शन के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड / ओटीपी और स्क्रीन पर प्रदर्शित सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल सत्यापन के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग एवं वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>4. शेयरधारक / सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए निम्नानुसार क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप “एनएसडीएल स्पीड” सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।</p> <p>NSDL Mobile App is available on</p> <p> App Store  Google Play</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

Type of shareholders	Login Method
	<p>3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nSDL.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/ OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p> <p>4. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App “NSDL Speede” facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.</p> <p>NSDL Mobile App is available on</p> <p> App Store  Google Play</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन प्रक्रिया
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	<ol style="list-style-type: none"> जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल Easi / Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अन्य सत्यापन के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi / Easiest लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगिन आइकन तथा नए सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और अपने मौजूदा Myeasi उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड का उपयोग करें। सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद Easi/ Easiest उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग प्रगति पर है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर उपयोगकर्ता दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग एवं मतदान में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर पहुंच सकें। यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है तथा लॉगिन एवं न्यू सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	<ol style="list-style-type: none"> Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi / Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then use your existing my easi username & password. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option.

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन प्रक्रिया
	<p>4. वैकल्पिक रूप से उपयोगकर्ता www.cdslindia.com के होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक के माध्यम से डीमैट खाता नंबर और पैन नंबर दर्ज करके सीधे ई-वोटिंग पेज को एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता की पहचान करेगा। सफल सत्यापन के बाद उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां ई-वोटिंग प्रगति पर है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक सीधे एक्सेस करने में भी सक्षम होंगे।</p>
वैयक्तिक शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं।	<p>आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सत्यापन के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p>

Type of shareholders	Login Method
	<p>4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.</p>
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	<p>You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p>

महत्वपूर्ण नोट:

जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फरगेट यूजर आईडी और फरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

डिपॉजिटरी अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या के संबंध में सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या के संबंध में सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या सीडीएसएल हेल्पडेस्क या 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at toll free no.: 022 - 4886 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 1800 22 55 33

बी) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वचुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन प्रक्रिया।

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन कैसे करें?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल: <https://www.evoting.nsdl.com/> टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलने के बाद, आइकन "लॉगिन" पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन के तहत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, को दर्ज करना होगा

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सेवाएं यानी IDEAS के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDEAS लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉगिन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सेवाओं में लॉगिन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें पर आगे बढ़ सकते हैं।

4. आपकी यूजर आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर धारण करने का तरीका यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपकी यूजर आईडी है:
ए) उन सदस्यों के लिए जिनके पास एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर हैं।	8 वर्ण की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12***** है, तो आपकी यूजर आईडी IN300***12***** है।
बी) उन सदस्यों के लिए जिनके पास सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर हैं।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12***** है, तो आपकी यूजरआईडी 12***** है।
सी) उन सदस्यों के लिए जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं।	EVEN नंबर के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और EVEN 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** है।

5. वैयक्तिक शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:

- ए. यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- बी. यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' को पुनः प्राप्त करना होगा जो आपको संप्रेषित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको आवश्यक रूप से अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा।
- सी. अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे पुनः प्राप्त करें?
- i. यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाता में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर संप्रेषित

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

- a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
- c) How to retrieve your 'initial password'?
- (i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the

किया जाता है। अपने मेलबॉक्स से एनएसडीएल से आपको भेजे गए ईमेल का पता लगाएं। ईमेल को खोलें और संलग्नक यानी a.pdf फाइल को खोलें। .pdf फाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए .pdf फाइल खोलने का पासवर्ड आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है और सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक शेयरों के लिए फोलियो नंबर पासवर्ड है। .pdf फाइल में आपकी 'यूजर आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

ii. यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

ए) "यूजर विवरण/पासवर्ड भूल गए?" पर क्लिक करें (यदि आपके पास एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर हैं) जो विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

बी) भौतिक यूजर रीसेट पासवर्ड?" (यदि आपके पास भौतिक रूप में शेयर हैं) यह विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

सी) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, अपने पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते आदि का उल्लेख करते हुए ईमेल evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

डी) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स में "नियम और शर्तों" का चयन करके सहमत हूँ पर टिक करें।

8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered.**

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

a) Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.com mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट करें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक से जुड़ें।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे करें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक से कैसे जुड़ें?

1. चरण-1 में सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों के “EVEN” को देख पाएंगे जिनके आप शेयर धारक हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।
2. उस कंपनी के “EVEN” का चयन करें जिसके लिए आप दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना वोट करना चाहते हैं। वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए आपको “Join General Meeting” के तहत “VC/OAVM” लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आप वोटिंग पेज खुलते ही ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उपर्युक्त विकल्पों का चयन करके अपना वोट करें अर्थात् सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट करना चाहते हैं और “सबमिट” पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर “पुष्टि करें” पर भी क्लिक करें।
5. पुष्टि करने पर, “वोट सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ” संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके भी अपने द्वारा किए गए वोटों का प्रिंटआउट ले सकते हैं।
7. एक बार जब आप रिसोल्यूशन पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, scrutinizer@snaco.net पर ई-मेल द्वारा और एक प्रति evoting@nsdl.com पर संवीक्षक को मार्क करके प्रेषित करनी होगी।
2. यह सूचित किया जाता है कि किसी भी स्थिति में अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies “EVEN” in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
2. Select “EVEN” of company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on “VC/OAVM” link placed under “Join General Meeting”.
3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on “Submit” and also “Confirm” when prompted.
5. Upon confirmation, the message “Vote cast successfully” will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.com.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login

पासवर्ड प्रविष्ट करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन डिसेबल कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, पासवर्ड रीसेट करने के लिए “उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?” या “भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?” विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

3. किसी भी सहायता के लिए, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

1. यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) v-raju.sv@kfintech.com पर ईमेल द्वारा प्रेषित करें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया DPID-CLID (16 अंकों की DPID + CLID या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरणी की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी) v-raju.sv@kfintech.com पर प्रेषित करें। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि ई-वोटिंग के लिए लॉगिन प्रक्रिया और डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए **चरण 1 (ए)** में बताई गई लॉगिन प्रक्रिया देखें।
3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/ सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध कराके ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।
4. सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग संबंधी सुविधा पर डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ मेनटेंड अपने

to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the “Forgot User Details/Password?” or “Physical User Reset Password?” option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.com

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to v-raju.sv@kfintech.com.
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to v-raju.sv@kfintech.com. If you are an Individual shareholders holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **step 1 (A)** i.e. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.
3. Alternatively shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.com for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their

डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अद्यतन करना आवश्यक है।

ईजीएम / एजीएम के दिन सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:-

1. ईजीएम / एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया ऊपर उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों के समान है।
2. केवल वे सदस्य / शेयरधारक, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम / एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना मतदान नहीं किया है एवं अन्यथा जिन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे ईजीएम / एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है वे ईजीएम / एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे ईजीएम/एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
4. किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान करने के पश्चात् उसे बदला नहीं जा सकता।
5. ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण वही व्यक्ति होगा जिसका उल्लेख रिमोट ई-वोटिंग के लिए किया गया है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम/एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के द्वारा ईजीएम/एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के एक्सेस हेतु उपर्युक्त चरणों का पालन करके इस सुविधा को एक्सेस कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने “मीटिंग में शामिल हों” मेनू के अंतर्गत “VC/OAVM link” का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आम बैठक में शामिल हों मेनू के अंतर्गत दिए गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम का लिंक शेयरधारक/ सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीईएन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के

demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE EGM/AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the EGM/AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the EGM/AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the EGM/AGM.
3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM/AGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM/AGM.
4. Vote on a resolution, once cast, cannot be changed subsequently.
5. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the EGM/AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE EGM/AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Member will be provided with a facility to attend the EGM/AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system**. After successful login, you can see link of “VC/OAVM link” placed under “Join meeting” menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/ Member login where the EVEN of Company will

लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की परेशानियों से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. इसके अलावा सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए कैमरे की सुविधा के उपयोग को अनुमति देनी होगी और अच्छी गति के इंटरनेट का उपयोग करना होगा।
4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप से जुड़ने वाले सदस्यों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/ वीडियो में व्यवधान का अनुभव हो सकता है। अतः किसी भी प्रकार की उपर्युक्त समस्याओं से बचने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें।

9. असाधारण आम बैठक में वोटिंग प्रक्रिया

कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, दूरस्थ ई-वोटिंग तथा असाधारण आम बैठक में वोटिंग के माध्यम से होगी। जो दूरस्थ ई-वोटिंग विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं वे बैठक की तारीख को ईजीएम में आयोजित किए जाने वाले वोटिंग में अपना मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

10. दूरस्थ ई-वोटिंग में संवीक्षक/ बैठक में वोटिंग

मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कं., कंपनी सचिव बैठक की कार्यसूची की सभी मदों के संदर्भ में दूरस्थ ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

11. दूरस्थ ई-वोटिंग तथा बैठक में वोटिंग का परिणाम

दूरस्थ ई-वोटिंग तथा असाधारण आम बैठक में वोटिंग के समेकित परिणाम की घोषणा दो दिनों के भीतर या बैठक के अंत में की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

12. पते में परिवर्तन / लाभांश अधिदेश

ए) नोटिस/ सूचना भेजने के लिए बैंक एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत पते और संबंधित डिजिटरी से आरटीए द्वारा

be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.

2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

9. VOTING PROCESS AT THE EGM

The voting on the agenda items shall be done by remote e-voting as well as by voting at the EGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate in the voting to be conducted at the EGM on the date of the meeting.

10. SCRUTINIZERS AT REMOTE E-VOTING / VOTING AT THE MEETING

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote evoting and e-voting in respect of all the agenda items to be considered at the meeting.

11. RESULTS OF REMOTE EVOTING AND VOTING AT THE MEETING

The consolidated results of remote e-voting and voting at the EGM will be announced within two working days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and NSDL.

12. CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE:

a) The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with

डाउनलोड किए गए विवरण का उपयोग करेगा। इलेक्ट्रॉनिक फार्म में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि डीमैट खाते में पंजीकृत उनके पते संबंधी विवरण संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ अद्यतन होने चाहिए। बैंक या इसके रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट इलेक्ट्रॉनिक फार्म में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से पते संबंधी विवरण में किसी परिवर्तन हेतु सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन केवल शेयरधारकों के डिपॉजिटरी सहभागी को ही सूचित किया जा सकता है।

बी) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में परिवर्तन हो तो इसकी सूचना वैध दस्तावेजी साक्ष्य और औपचारिक अनुरोध पत्र के साथ तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात् मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड हैदराबाद को दें। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन को केवल अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ ही पंजीकृत करना चाहिए, बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ नहीं।

सी) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना डीपी आईडी/ क्लाइंट आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें।

13. भौतिक रूप में शेयर धारणकर्ता शेयरधारकों द्वारा पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और हस्ताक्षर का नमूना प्रस्तुत किया जाना

सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडी-पीओडी-1/ पी/ सीआईआर/ 2023/ 37 दिनांक 16 मार्च 2023 के माध्यम से निम्नानुसार सूचित किया है:

1. सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और हस्ताक्षर का नमूना प्रस्तुत करें।
2. जिन फोलियो में दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके पश्चात् उपर्युक्त दस्तावेज/ विवरण में से कोई एक दस्तावेज/विवरण उपलब्ध नहीं होगा, उन्हें आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा।

the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the Shareholders holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Shareholders.

- b) Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. Kfin Technologies Limited, Hyderabad. Shareholders holding shares in electronic form must register change in address **with their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.**
- c) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

13. FURNISHING OF PAN, NOMINATION, CONTACT DETAILS, BANK A/C DETAILS AND SPECIMEN SIGNATURE BY PHYSICAL SHAREHOLDERS

SEBI vide its Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16th March 2023 has advised following:

1. It is mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers.
2. The folios wherein any one of the above cited document/details are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA.

- जिन प्रतिभूति धारक(कों) के फोलियो को फ्रीज कर दिया गया है, वे उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित संपूर्ण दस्तावेज/विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही (1) शिकायत दर्ज करने या आरटीए से कोई सेवा अनुरोध प्राप्त करने (2) ऐसे फ्रोजन फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित किसी भी भुगतान के लिए 01 अप्रैल 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पात्र होंगे।
- फ्रीज किए हुए फोलियो, यदि वे दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक फ्रीज ही रहते हैं, को आरटीए/ बैंक द्वारा बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 और/ या धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासनिक प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

- The security holder(s) whose folio(s) have been frozen shall be eligible (1) to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing the complete documents / details as mentioned in above para 1. (2) for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such frozen folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024.
- Frozen folios will be referred by the RTA / Bank to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and/or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on December 31, 2025.

14. शेयरधारकों हेतु संपर्क विवरण

इस संप्रेषण के संबंध में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों / लाभांश के किसी भी मामले या अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण / सहायता के लिए आप निम्नलिखित पते पर हमसे / आरटीए से संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने संप्रेषण में अपने फोलियो नंबर / टेलीफोन नंबर / मोबाइल नं / ईमेल पते का उल्लेख करें)

14. CONTACT DETAILS FOR SHAREHOLDERS

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares / dividends of Bank of Baroda, you may please reach us / RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).

<p>केफिन टेक्नोलॉजी लि., यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत - 500 032. ई-मेल : einward.ris@kfintech.com टोल फ्री/फोन नंबर : 1800 309 4001 व्हाट्सएप नंबर: (91) 910 009 4099 केपीआरआईएसएम (मोबाइल एप्लिकेशन): https://kprism.kfintech.com/ केफिन टेक कॉर्पोरेट वेबसाइट: https://www.kfintech.com आरटीए वेबसाइट: https://ris.kfintech.com निवेशक सहायता केंद्र (डीआईवाई लिंक): https://ris.kfintech.com/clientservices/isc</p>	<p>बैंक ऑफ़ बड़ौदा निवेशक सेवाएं विभाग, 7^{वां} तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर सी-26, जी-ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व) मुंबई 400 051 टेलीफोन: 022-6698 5731/ 5743 सामान्य नंबर: 022-6698 5000-04 (पीबीएक्स) ई-मेल: investorservices@bankofbaroda.com बैंक की वेबसाइट पर शेयरधारक का कॉर्नर सेक्शन - https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/</p>
--	---

<p>KFin Technologies Ltd., Unit: Bank of Baroda, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032. Email : einward.ris@kfintech.com Toll Free/ Phone Number: 1800 309 4001 WhatsApp Number : (91) 910 009 4099 KPRISM (Mobile Application) : https://kprism.kfintech.com/KFINTECH Corporate Website Website : https://www.kfintech.com RTA Website : https://ris.kfintech.com Investor Support Centre (DIY Link) : https://ris.kfintech.com/clientservices/isc</p>	<p>Bank of Baroda Investor Services Department, 7th floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai 400 051 Tel: 022 - 6698 5731 / 5743 General Number : 022 - 6698 5000-04 (PBX) E-Mail: investorservices@bankofbaroda.com Shareholder's corner section on Bank's Website - https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/</p>
--	--

15. भौतिक शेयरों का डीमैटरियलाइजेशन- एक विशेष अनुरोध:

1. सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के जरिए यह निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन के मामले को छोड़कर 01.04.2019 से प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोध तब तक स्वीकृत नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे किसी डिपॉजिटरी के पास डीमैट रूप में न हों। अतः हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे तुरंत अपने भौतिक शेयरों को डीमैट करवा लें।
2. सेबी (सूचीयन बाध्यता तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 40(1) के अनुसार 1 अप्रैल, 2019 से भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के अंतरण को बंद कर दिया गया है। तदनुसार शेयरों का अंतरण तभी किया जा सकता है, जब शेयर डीमैट रूप में रखे गए हों।
3. इसके अलावा, सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ एमआईआरएसडी_आरटीएमबी/ पी/ सीआईआर/ 2022/ 8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से निर्णय लिया कि सूचीबद्ध कंपनियां डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन आदि जारी करने के अनुरोधों को प्रोसेस करते समय केवल डीमैट रूप में ही प्रतिभूतियां जारी करेंगी।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए हम बैंक के सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं, जिन्होंने शेयरों को भौतिक रूप में रखा है, कृपया अपने शेयरों को भौतिक से डीमैटरियलाइज करवा लें।

शेयरों को डीमैट रूप में रखने के प्रमुख लाभ निम्नानुसार हैं:

- i. भौतिक शेयर प्रमाण पत्र के गुम होने या क्षति की संभावना समाप्त हो जाती है;
- ii. शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के फटने या धोखाधड़ी या कटने-फटने की संभावना समाप्त हो जाती है;
- iii. डीमैट होने से शेयरों की कागज रहित ट्रेडिंग की आसान सुविधा मिलती है। एक बार डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के पास डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर खरीद या बेच सकते हैं।

16. भौतिक रूप में शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन की प्रक्रिया:

मौजूदा शेयर प्रमाण-पत्रों के विवरण में कोई परिवर्तन न होने की स्थिति में डीमैटरलाइजेशन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

15. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

1. SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to kindly Demat their physical holding immediately.
2. In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly transfer of shares can be done only if the shares are held in demat form.
3. Further, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2022/8 dated 25th January 2022, decided that listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc., shall henceforth issue the securities in demat form only.

In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form to kindly dematerialize their shares.

Major advantages of holding the shares in Demat form are as follows:

- i. Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;
- ii. Possibility of tearing or forgery or mutilation of share certificate(s) are eliminated;
- iii. Dematerialization provides the ease and convenience of paperless trading of shares. Once a demat account is opened with a Depository Participant (DP), shareholder can easily buy or sell shares in electronic form.

16. PROCESS FOR DEMATERIALIZATION OF SHARES IN PHYSICAL FORM :

Following is the dematerialization process in case there is no change in details of existing share certificates:

ए. उन शेयरधारकों के लिए जिनके पास डीमैट खाता नहीं है:

शेयरधारक(कों) को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की शाखा या किसी अन्य डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से संपर्क करना होगा एवं उसी नाम तथा स्वरूप में डीमैट खाता खोलना होगा, जिस नाम पर शेयरधारक बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयर धारित करता है।

डीमैट खाता खोलने के पश्चात् शेयरधारक(कों) को डीपी को विधिवत रूप से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित डीमैट अनुमोदित फॉर्म (डीआरएफ) के साथ मूल शेयर प्रमाण पत्र(त्रों) सौंपकर करना होगा, जो उसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए डीआरएफ की जांच/सत्यापन करेगा और यदि सही पाया जाता है तो शेयरधारक(कों) के डीमैट खाते में समतुल्य संख्या में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे।

बी. पहले से डीमैट खाता रखने वाले शेयरधारकों के लिए:

ऐसे शेयरधारक (कों) जिनके पास पहले से ही डीमैट खाता है, उन्हें यह देखना होगा कि क्या मौजूदा डीमैट खाता उसी नाम (मों) एवं स्वरूप में है जैसी बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयरधारिता है। यदि हां, तो शेयरधारकों को विधिवत रूप से भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित डीआरएफ मूल शेयर प्रमाणपत्र के साथ डीपी को प्रस्तुत करना होगा जो उसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए डीआरएफ की जांच/सत्यापन करेगा और यदि सही पाया जाता है, तो शेयरधारक (कों) के डीमैट खाते में समतुल्य संख्या में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे।

यदि मौजूदा डीमैट खाता समान नाम पर नहीं है, तो शेयरधारक(कों) को मार्गदर्शन के लिए अपने डीपी से संपर्क करना होगा।

यदि मौजूदा शेयर प्रमाण-पत्रों के विवरण में कोई परिवर्तन होता है तो कृपया उल्लिखित पते पर हमारे आरटीए अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजी लि. अथवा बैंक से संपर्क करें।

A. For shareholder(s) who are not having a Demat account:

The shareholder(s) is/are required to approach nearby Bank of Baroda Branch or any other Depository Participant (DP) and open a Demat Account in the same name(s) and style in which the shareholder(s) hold shares in Bank of Baroda.

After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the original share certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s)

B. For shareholders already having a Demat account:

The shareholder (s) who are already having the Demat Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the shareholding in Bank of Baroda. If yes, shareholder(s) has to submit duly filled in and signed DRF along with original share certificate(s) to the DP who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).

If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance.

In case there is change in details of existing share certificates, kindly contact our RTA i.e. KFin Technologies Ltd or Bank at address mentioned above.

17. अदावाकृत लाभांश / शेयरों का आईईपीएफ में अंतरण

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण एवं रिफंड) नियम, 2016 और उसके बाद के संशोधन

17. TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TO IEPF

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

(“नियम”) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार सभी अदावाकृत लाभांशों को बैंक द्वारा अदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से सात वर्ष की समाप्ति के पश्चात् केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ संख्या 13/2/2015-बीओ II दिनांक 29 अक्तूबर, 2021 के साथ पठित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण एवं रिफंड) नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 124 (6) के अनुसार सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए अदत्त/ अदावाकृत रहा है और आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है, उन्हें भी आईईपीएफ में अंतरित किया जाएगा।

इसके अनुपालन में बैंक को उन शेयरधारकों के अदावाकृत शेयरों को आईईपीएफ को अंतरित करना होगा जिन्होंने पिछले सात वर्षों या उससे अधिक समय से आईईपीएफ को लाभांश का दावा नहीं किया है। बैंक पहले ही वित्त वर्ष 2014-15 तक के अदावाकृत लाभांश को आईईपीएफ को अंतरित कर चुका है।

शेयरधारकों के अदावाकृत लाभांश का विवरण बैंक की वेबसाइट <https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/unpaid-dividend> और केफिन की वेबसाइट <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx> पर प्रदर्शित किया गया है।

हम ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने अदत्त लाभांश का दावा तत्काल करें।

कृपया नोट करें कि भविष्य में ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभ भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे।

कृपया नोट करें कि आईईपीएफ को अंतरित किए गए अदावाकृत लाभांश राशि एवं शेयरों के संबंध में बैंक के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता।

18. आईईपीएफ को अंतरित/ अदावाकृत लाभांश शेयरों का दावा:

अदावाकृत लाभांश जो पहले ही अंतरित किया जा चुका हो या शेयर, जिन्हें आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है, के संबंध में कृपया नोट करें कि आप वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित

read with Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment thereto (“the Rules”), all unclaimed dividends are required to be transferred by the Bank to Investor Education Protection Fund (IEPF) established by Central Government, after the expiry of seven years from the date of transfer to unpaid dividend account. Further, pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (“the Act”) read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 read with Office Memorandum (OM) F. No. 13/2/2015-BO.II dated 29th October, 2021 issued by Department of Financial Services (DFS), all the shares in respect of which dividend has remained unpaid / unclaimed for seven consecutive years or more and have been transferred to IEPF are also liable for transfer to IEPF.

In compliance thereof, the Bank is required to transfer unclaimed shares to IEPF of those shareholders who have not claimed dividend for past seven years and more to IEPF. Bank has already transferred unclaimed dividend and shares upto FY 2014-15 to IEPF.

The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank’s website at <https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/unpaid-dividend> and that of KFin at <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx>

We request those shareholders to claim their unpaid dividend immediately by furnishing requisite documents.

Please note that all benefits accruing on such shares in future shall also be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority.

Please note that no claim shall lie against the Bank in respect of the unclaimed dividend amount and shares so transferred to IEPF.

18. CLAIMING OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TRANSFERRED TO IEPF:

With regard to the unclaimed dividend that has already been transferred or the shares which are to be transferred to IEPF, kindly note that you are entitled

फॉर्म आईपीएफ-5 में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके और फॉर्म आईपीएफ-5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बैंक को विधिवत हस्ताक्षरित उसकी एक भौतिक प्रति भेजकर आईपीएफ से लाभांश राशि या शेयरों का दावा करने के हकदार हैं।

to claim the dividend amount or the shares from IEPF by submitting an online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in and sending a physical copy of the same duly signed to the Bank along with requisite documents enumerated in the Form IEPF- 5.

19. पिछले वर्षों का अदावाकृत/ अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

शेयरधारक यह नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में संशोधन के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरूप भुगतान हेतु /दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश “अदत्त लाभांश खाते” में अंतरित करें।

“अदत्त लाभांश खाते” में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि में अदावाकृत /अदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईपीएफ को अंतरित कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से आगे के अदत्त लाभांश के अंतरण के लिए भविष्य की निर्दिष्ट तारीखें नीचे दी गई हैं।

19. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY OF PREVIOUS YEARS:

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide “The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to “Unpaid Dividend Account”.

The amount transferred to the said “Unpaid Dividend Accounts” and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2015-16 to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2015-16 onwards, the details about future due dates for transfer are given below:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आईपीएफ को अंतरित करने की निर्दिष्ट तारीख/ आरटीए या बैंक को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख		
		बैंक ऑफ बड़ौदा	पूर्ववर्ती विजया बैंक	पूर्ववर्ती देना बैंक
1	2016-2017	06 अगस्त, 2024	29 जुलाई, 2024	लागू नहीं
2	2017-2018	लागू नहीं	04 अगस्त, 2025	लागू नहीं
3	2018-2019	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Sr. No	Financial Year	Due Dates for Transfer to IEPF/Last Date by which the claim should reach RTA or the Bank		
		Bank of Baroda	eVijaya Bank	eDena bank
1	2016-2017	06 th August, 2024	29 th July 2024	Not Applicable
2	2017-2018	Not Applicable	04 th August 2025	Not Applicable
3	2018-2019	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आईईपीएफ को अंतरित करने की निर्दिष्ट तारीख/ आरटीए या बैंक को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख		
		बैंक ऑफ बड़ौदा	पूर्ववर्ती विजया बैंक	पूर्ववर्ती देना बैंक
4	2019-2020	लागू नहीं		
5	2020-2021	लागू नहीं		
6	2021-2022	27 जुलाई, 2029		
7	2022-2023	07 अगस्त, 2030		

Sr. No	Financial Year	Due Dates for Transfer to IEPF/Last Date by which the claim should reach RTA or the Bank		
		Bank of Baroda	eVijaya Bank	eDena bank
4	2019-2020	Not Applicable		
5	2020-2021	Not Applicable		
6	2021-2022	27 th July 2029		
7	2022-2023	07 th August 2030		

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016-17 से अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो अथवा लाभांश पत्र उन्हें प्राप्त न हुए हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट अथवा बैंक के निदेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

The Shareholders who have not en-cashed their dividend warrants for the previous years, i.e. from FY 2016-17 onwards are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address :

<p>केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट - बैंक ऑफ बड़ौदा) सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गचिबावली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032 ई-मेल: einward.ris@kfintech.com वेबसाइट: https://www.kfintech.com टोल फ्री नं 1800 309 4001</p>	<p>निवेशक सेवाएं विभाग बैंक ऑफ बड़ौदा, 7 वां तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400051 ई मेल :- investorservices@bankofbaroda.com</p>
---	---

<p>KFin Technologies Ltd. (Unit :- Bank of Baroda) Selenium Tower B, Plot No 31 & 32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032 Email id - einward.ris@kfintech.com Website: https://www.kfintech.com Toll free number - 1- 800-309-4001</p>	<p>Investors' Services Department Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051. E-mail - investorservices@bankofbaroda.com</p>
---	---

व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 1 :

बैंक के एक शेयरधारक निदेशक का चयन

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा (9) (3) (i) के अनुसरण में, वर्तमान में हमारे बैंक के निदेशक मंडल में केंद्र सरकार के अलावा निम्नलिखित दो निदेशक शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं:

- श्री आलोक वाजपेयी (09.07.2021 से 08.07.2024 तक प्रभावी)
- श्रीमती नीना नागपाल (24.12.2023 से 23.12.2026 तक प्रभावी)

EXPLANATORY STATEMENT

Item Number 1:

Election of ONE Shareholder Director of the Bank

Pursuant to section (9) (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at present the Board of Directors of our Bank has following Two Directors representing Shareholders other than the Central Government:

- Shri Alok Vajpeyi (w.e.f. 09.07.2021 to 08.07.2024)
- Smt. Nina Nagpal (w.e.f. 24.12.2023 to 23-12-2026)

निर्वाचित शेयरधारक निदेशक श्री श्रीनिवासन श्रीधर ने इंडियन ओवरसीज बैंक के अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर दिनांक 21.02.2024 को इस्तीफा दे दिया है। तदनुसार, उक्त रिक्ति को भरने के लिए निदेशक मंडल ने केंद्र सरकार से भिन्न अन्य शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव कराने का निर्णय लिया है। (शेयरधारक निदेशक)

अतः शेयरधारक (केंद्र सरकार से भिन्न) विभिन्न और प्रासंगिक अधिनियम, योजना, विनियम, अधिसूचना और दिशानिर्देशों की विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन प्रेषित करने के पात्र हैं।

एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव, बैंक को शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत नामांकनों की जांच और निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति / निदेशक मंडल द्वारा उन्हें 'उपयुक्त एवं समुचित' पाए जाने पर तथा तत्पश्चात् असाधारण आम बैठक में चुनाव के बाद होगा। इस प्रकार चयनित निदेशक 16 मई, 2024 से अपना कार्य संभालेंगे और अगले तीन वर्षों तक की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।

मद संख्या 2 :

श्री संजय विनायक मुदालियर, कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान करना

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी, 2024 द्वारा श्री संजय विनायक मुदालियर (जन्मतिथि: 02 जुलाई 1968) को कार्यभार ग्रहण करने से अपनी सेवा की शेष अवधि अर्थात् 31.12.2025 तक या अगले आदेश तक बैंक ऑफ़ बड़ौदा का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने दिनांक 31.01.2024 को कार्यभार ग्रहण किया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1सी) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जाए। तदनुसार, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री संजय विनायक मुदालियर की नियुक्ति के लिए ईजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक है।

संक्षिप्त प्रोफाइल:

श्री संजय विनायक मुदालियर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर हैं और लंदन (यूके) से प्रमाणित परियोजना प्रबंधन पेशेवर हैं। आप एक अनुभवी बैंकर हैं और आपको उद्योग जगत और वित्तीय संस्थानों में 30 वर्षों से अधिक

Shri Srinivasan Sridhar elected Shareholder Director has resigned on 21.02.2024 on being elected as Part time Non Official Director and Non Executive Chairman of Indian Overseas Bank. Accordingly, to fill in the said vacancy, the Board of Directors have decided to conduct Election of One Director from amongst Shareholders other than the Central Government. (Shareholder Director)

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act, Scheme, Regulations, Notification and Guidelines.

The Shareholder Director will be elected after the scrutiny of the nominations which the Shareholders submit to the Bank and determination of his/her 'Fit & Proper' Status by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / Board of Directors and subsequent election at the EGM. The Shareholder Director so elected shall assume office from 16th May 2024 and shall hold office for a period of three years.

Item Number 2:

To approve the appointment of Shri Sanjay Vinayak Mudaliar, Executive Director

The Government of India vide its notification dated 30th January 2024 has appointed **Shri Sanjay Vinayak Mudaliar** (DOB: 02nd July 1968), Executive Director, Bank of Baroda w.e.f. his taking over charge for the remainder of his term i.e. upto 31.12.2025, or until further orders, whichever is earlier. He has taken over charge on 31.01.2024.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the EGM for appointment of Shri Sanjay Vinayak Mudaliar as the Executive Director of the Bank.

Brief Profile:

Shri Sanjay Vinayak Mudaliar is a Post Graduate in Science and Technology and a Certified Project Management Practitioner, London (UK). He is a seasoned banker with career spanning over 30 years across industries and

का कार्य अनुभव है। इनमें से पिछले 25 वर्षों से आप देश में और यूनाइटेड किंगडम में विभिन्न पदों पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा से जुड़े रहे हैं।

श्री मुदालियर को देय पारिश्रमिक/ पारितोषिक भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है।

श्री संजय विनायक मुदालियर या उनके संबंधियों को छोड़कर बैंक के कोई भी निदेशक या उनके संबंधी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की संलग्न नोटिस की मद संख्या 2 में निर्धारित सामान्य संकल्प से संबंधित नहीं हैं या उनका हित निहित नहीं है।

निदेशक के चुनाव के लिए अन्य प्रावधान:

ए. विधिक प्रावधान

इस विषय से संबंधित विभिन्न अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना के प्रावधान नीचे तालिका में दिए गए हैं : -

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	आवश्यक प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन-ई) धारा 16 (1) धारा 20	<ul style="list-style-type: none"> ➤ महत्वपूर्ण लाभ ➤ सामान्य निदेशकों का निषेध ➤ बैंक के किसी भी निदेशक की ओर से ऋण या अग्रिम की स्वीकृति पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9 (3)(i) धारा 9 (3ए) (ए) से (सी)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ वोट देने के अधिकार पर प्रतिबंध ➤ शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या ➤ कतिपय क्षेत्रों में विशेष ज्ञान

financial institutions. Of these, for last 25 years he was associated with Bank of Baroda in various capacities across the country and in the United Kingdom.

Remuneration / Compensation payable to Shri. Mudaliar is as per guidelines issued by Government of India.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Sanjay Vinayak Mudaliar or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No. 2 of the accompanying Notice of EGM.

OTHER PROVISIONS FOR ELECTION OF DIRECTOR:

A. LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e) Section 16 (1) Section 20	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Substantial Interest ➤ Prohibition of Common Directors ➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Restriction on voting rights ➤ No. of directors to be elected by the shareholders ➤ Special knowledge in certain fields

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	आवश्यक प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
	धारा 9 (3ए) व धारा 9 (3बी)	<ul style="list-style-type: none"> कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि उसे भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकार्ड, सत्यनिष्ठा या अन्य निर्धारित किसी मानदंड पर उपयुक्त नहीं पाया जाता।
	धारा 9 (3बी)	<ul style="list-style-type: none"> ऐसे चुने गए निदेशक को, जो उक्त अधिनियम की धारा 9 (3ए) व 9(3ए) की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें हटाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार
	धारा 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> निष्ठा एवं गोपनीयता बरतने संबंधी कर्तव्य
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9 (4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11 बी	<ul style="list-style-type: none"> निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने की अयोग्यताएं निदेशक कार्यालय को खाली करना निर्वाचित निदेशक के पद से हटाया जाना निर्वाचित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति भरा जाना

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
	Section 9(3AA) & Section 9(3AB)	<ul style="list-style-type: none"> No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.
	Section 9(3B)	<ul style="list-style-type: none"> Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B	<ul style="list-style-type: none"> Term of office of elected directors Disqualifications from being elected as a Director of the Bank Vacation of office of Director Removal from office of an elected Director Filling of casual vacancy in the office of an elected Director

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	आवश्यक प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
	खंड 12 (8)	➤ निदेशकों के हितों वाले कुछ निश्चित क्षेत्रों का निदेशकों द्वारा प्रकटीकरण
बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (2008 तक संशोधित)	विनियम 10	➤ संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग
	विनियम 61	➤ सामान्य बैठकों में वोट देना
	विनियम 63	➤ सामान्य बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक
	विनियम 64	➤ शेयरधारकों की सूची
	विनियम 65	➤ चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन
	विनियम 66	➤ नामांकनों की जांच
	विनियम 67	➤ चुनाव विवाद
	विनियम 68	➤ वोटिंग अधिकारों का निर्धारण
	विनियम 69	➤ विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा वोट किया जाना
	विनियम 70	➤ प्रॉक्सी
भा.रि.बैं. मास्टर निदेश	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3ए) तथा 9 (3एबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए समुचित एवं उपयुक्तता मानदंड

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
	Clause 12(8)	➤ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Amended up to 2008)	Regulation 10	➤ Exercise of rights of joint holders
	Regulation 61	➤ Voting at General Meetings
	Regulation 63	➤ Directors to be elected at General Meetings
	Regulation 64	➤ List of Shareholders
	Regulation 65	➤ Nomination of candidates for election
	Regulation 66	➤ Scrutiny of nominations
	Regulation 67	➤ Election disputes
	Regulation 68	➤ Determination of voting rights
	Regulation 69	➤ Voting by duly authorized representative
	Regulation 70	➤ Proxies
RBI Master Directions	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of Public Sector Banks

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	आवश्यक प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
दिनांक 3 सितम्बर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित भारत सरकार के पत्र सं. एफ.न.16/51/2012-बीओ.आई. दिनांक 28 अप्रैल, 2015 तथा 20 जुलाई, 2016 के साथ पठित कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित अंशकालिक अशासकीय निदेशकों की नियुक्ति के लिए दिनांक 25 मार्च, 2015 को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देश		बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3)(i) के अनुसार शेरधारक निदेशक का चुनाव करते समय उम्मीदवारों की उपयुक्त एवं समुचित स्थिति का निर्धारण करते समय निदेशक मंडल की नामांकन एवं परिश्रमिक समिति द्वारा इन दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखा जाएगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई, 2015		निदेशकों के संबंधियों को ऋण एवं अग्रिमों की स्वीकृति
सेबी (सूचीयन बाध्यता तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015		स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में प्रावधान

शेरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना/विनियम के संबद्ध अंशों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीआर.नियुक्ति.सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 तथा भारत सरकार के दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर प्रदर्शित किए जाएंगे जो उपयोगकर्ता द्वारा देखे/डाउनलोड किए जा सकते हैं। ऐसे सारांश इच्छुक उम्मीदवारों को, उनके द्वारा नामांकन फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख अर्थात् 30 अप्रैल, 2024 को अथवा उससे पहले कंपनी सचिव, बैंक ऑफ बड़ौदा, कार्पोरेट कार्यालय के पास उनके ई-मेल companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर अनुरोध प्राप्त होने पर ई-मेल किए जा सकते हैं।

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
Guidelines issued by the Government of India approved by Appointment Committee of the Cabinet for appointment of part time non official director dated 25 th March 2015 read with GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28 th April 2015 and dated 20 th July 2016 read with OM dated 3 rd September 2013 and subsequent amendments thereto, if any.		These guidelines be kept in mind by the Nomination and Remuneration Committee of the Board while carrying out determination of Fit and Proper Status of the Candidates to be elected as Shareholder Director pursuant to Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
RBI Master Circular dated 1 st July 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/ Regulation as well as RBI Notifications No. DBR.Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and GOI Guidelines will be hosted in the Bank's website www.bankofbaroda.in. which can be viewed/downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Bank of Baroda at their Corporate Office at "companysecretary.bcc@bankofbaroda.com" on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. **30th April 2024**

बी. चुनाव में भागीदारी :

जैसा कि पहले ही दर्शाया गया है कि ऐसे शेयरधारक जिनके नाम विनिर्दिष्ट/ कट-ऑफ तारीख अर्थात् शुक्रवार, 12 अप्रैल, 2024 को एनएसडीएल/ सीएसडीएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर पर अंकित हैं, वे सभी शेयरधारक केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में भागीदारी अर्थात् नामित करने, चुनाव लड़ने एवं वोट देने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

यह नोट किया जाए कि केंद्र सरकार निदेशक के चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है, परंतु पर्यवेक्षक के रूप में ईजीएम में उपस्थित रह सकते हैं।

सी. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अपेक्षित योग्यता

1. अधिनियम की धारा 9 (3ए) के अनुसार बैंक के किसी शेयरधारक और धारा 9 (3)(i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के इच्छुक प्रत्याशी को:

ए) निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एक से अधिक विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए:

i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था

ii. बैंकिंग

iii. सहकारिता

iv. अर्थशास्त्र

v. वित्त

vi. विधि

vii. लघु उद्योग

viii. किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो।

(भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 नवंबर, 2016 के अपने परिपत्र सं. डीबीआर.नियुक्ति.बीसी. सं.39/29.39.001/2016-17 के माध्यम से बैंक में निदेशक के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति पर विचार करने के लिए निम्नलिखित को शामिल करने हेतु विशेषज्ञता का विस्तार किया है (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन

B. PARTICIPATION IN ELECTION:

As already indicated earlier, such of those Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the **Specified/Cut- Off Date** i. e., on **Friday, 12th April 2024** shall be entitled to participate i.e. **nominate, contest and vote** in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the election of Director, but may attend the EGM as an Observer.

C. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

1. In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

a) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-

i. agriculture and rural economy

ii. banking

iii. co-operation

iv. economics

v. finance

vi. law

vii. small scale industry

viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank

(RBI vide its circular no.DBR.Appt. BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and

(v) कारोबार प्रबंधन

- बी) जो जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा
सी) किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

2. अधिनियम की धारा 9 (3ए) और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार वह उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है तथा बैंक का निदेशक बनना चाहता है, उसे 'उपयुक्त एवं समुचित' हैसियत वाला होना चाहिए।

अधिनियम की धारा 9 (3एबी) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी उपधारा 3(ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया है, 'उपयुक्त एवं समुचित' हैसियत का निर्धारण करने वाले प्राधिकारी, उस निर्धारण की प्रणाली, उस निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे अन्य मामले जो उससे प्रासंगिक हों या आवश्यक समझे जाएं, को ध्यान में रखें।

इसके अलावा निर्वाचित निदेशक द्वारा प्रसंविदा विलेख निष्पादित किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए।

डी. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु अयोग्यताएं

- (ए) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 की शर्तों के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगा:
- ए) यदि वह, किसी समय दिवालिया करार दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोका हुआ हो या प्रशमन किया हो; अथवा
- बी) यदि उसे विकृत दिमाग का पाया गया हो अथवा उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा
- सी) यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा नैतिक चरित्रहीनता के अपराध के कारण दण्डित किया गया हो, अथवा
- डी) यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत गठित, भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक

(v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

- b) represents the interest of depositors; or
c) represents the interest of farmers, workers and artisans

2. In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification a candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess 'Fit and Proper' status.

In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

D. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- (A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955

(अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक के तहत लाभ का पद धारण करता है/करती है, सिवाय इसके कि वह बैंक में अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत बैंक के कर्मचारियों में से नामित किए गए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करता है/करती है। इसमें प्रबंध निदेशक तथा निदेशक भी शामिल है।

(बी) यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीआर.नियुक्ति.सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त, 2019 और भारत सरकार के दिशानिर्देशों सं. एफ.सं. 16/51/2012-बीओ.आई दिनांक 28 अप्रैल, 2015 और दिनांक 20 जुलाई, 2016 के साथ पठित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 03 सितंबर, 2013 के मानदंडों के अनुसार 'उपयुक्त एवं समुचित' व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

ई. अवधि

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 9(4) के अनुसार निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष तक पद पर रहेगा और पुनःचुनाव के लिए पात्र होगा।

बशर्ते, वह निदेशक अपने पद पर लगातार छः वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं रह सकेगा।

एफ. भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा(3ए) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना डीबीआर.नियुक्ति.सं: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 जारी की है, जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले उपयुक्त एवं समुचित मानदंडों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

'उपयुक्त एवं समुचित' स्थिति आदि का निर्णय करने संबंधी प्राधिकार, पद्धति/प्रक्रिया एवं मानदंड निम्नानुसार हैं:

ए) प्राधिकार :

बैंकों से अपेक्षित है कि वे एक "नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति" [इसके बाद से समिति कहा जाएगा] का गठन करें जिसमें निदेशक मंडल [इसके बाद से बोर्ड कहा जाएगा] से तीन गैर-कार्यपालक

or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

(B) If he/she is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of notifications of Reserve Bank of India DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and Government of India guidelines no. F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013.

E. TENURE

In terms of Clause 9 (4) of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

F. RBI'S 'Master Directions

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02nd August 2019 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper" status etc., are as under:

a) Authority:

The Bank is required to constitute a Nomination and Remuneration Committee [hereinafter referred to as the Committee] consisting of a minimum of three non-executive directors from amongst the Board of Directors [hereinafter

निदेशक शामिल होंगे। एसबीआई अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (सी)/बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशकों के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त एवं समुचित' स्थिति का निर्धारण करने हेतु समुचित सावधानी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए इस समिति में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक और न्यूनतम एक निदेशक जोखिम प्रबंधन समिति से होना चाहिए।

बी) पद्धति एवं प्रक्रिया :

बैंकों को चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से आवश्यक सूचना एवं घोषणा एवं वचनपत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर लेना चाहिए। समिति को चुने जाने वाले व्यक्तियों के मामले में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से पहले बैठक करनी चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि निम्नांकित मानदंडों के आधार पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी को स्वीकार किया जाए या नहीं। समिति के विचार विमर्श को औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए और यदि वोटिंग हुई हो तो उसे भी नोट किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई सूचना के आधार पर समिति को प्रत्याशी की स्वीकृति या अन्यथा रूप में निर्णय करना चाहिए तथा जहां कहीं आवश्यक हो समुचित प्राधिकारी/व्यक्तियों के समक्ष अभिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए ताकि आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

सी) मानदंड :

नामांकन एवं परिश्रमिक समिति को प्रस्तावित प्रत्याशियों की 'उपयुक्त एवं समुचित' हैसियत का निर्धारण बोर्ड के निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर करना चाहिए: -

- आयु** - निर्वाचन के लिए नामांकन की प्रस्तुति हेतु प्रत्याशी की आयु तय की गई कट-ऑफ तारीख तक 35 से 67 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता** - प्रत्याशी को कम से कम स्नातक होना चाहिए।
- अनुभव तथा विशेषज्ञता का क्षेत्र** - प्रत्याशी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.नियुक्ति.बीसी.सं 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016

referred to as Board], out of which not less than one-half shall be independent directors and should include at least one Shareholder from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under sub-section (c) of Section 19 of the SBI Act/ clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980.

b) Manner and procedure:

The banks shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the prescribed format from the persons who file their nominations for election. The Committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned below. The Committee's discussions shall be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting, if done, shall also be noted. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidature and shall make references, where considered necessary, to the appropriate authority / persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

c) Criteria

The Nomination and Remuneration committee should determine the 'fit and proper' status of the proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- Age** - The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.
- Educational qualification** - The candidate should at least be a graduate.
- Experience and field of expertise** - The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or

के साथ पठित एसबीआई अधिनियम की धारा 19ए(ए)/ बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3ए)(ए), जैसा भी मामला हो, में निर्धारित किसी एक या अधिक विषय पर विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

(iv) **अयोग्यता:** एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 22 / राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/80 के खंड 10 में निर्धारित 'निदेशकों की अयोग्यता' के अतिरिक्त;

ए) प्रत्याशी को किसी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्था (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक की होल्डिंग एनओएफएचसी के बोर्ड का सदस्य नहीं होना चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस उप-पैरा या उप-पैरा (सी) के उद्देश्य से "बैंक" से आशय बैंकिंग कंपनी, समकक्ष नया बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है।

बी) किराया खरीद, वित्तपोषण, राशि उधार, निवेश, लीजिंग या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक की नियुक्ति से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, यदि वह इन कंपनियों में प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखता हो।

सी) किसी भी व्यक्ति को, जो पहले बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं./ बीमा कंपनी के बोर्ड में लगातार या अलग-अलग समय पर किसी भी श्रेणी में 6 वर्ष निदेशक के रूप में सेवा कर चुका है, उसे बैंक के बोर्ड में निर्वाचित/पुनर्निर्वाचित नहीं किया जा सकता।

डी) प्रत्याशी को स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में शामिल नहीं होना चाहिए।

ई) प्रत्याशी को संसद या राज्य विधानसभा या नगर निगम या नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों से अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र परिषद,

more of the matters enumerated in section 19A(a) of the SBI Act / section 9(3A)(A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR.Appt.BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016.

(iv) **Disqualifications:** In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Section 22 of the SBI Act, 1955 / Clause 10 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80:

(a) The candidate should not be a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.

Explanation: For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "bank" shall include a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.

(b) A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a PSB. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them.

(c) No person may be elected/ re-elected on the Board of a bank if he/she has served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.

(d) The candidate should not be engaging in the business of stock broking.

(e) The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal

नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद आदि निकाय) के सदस्य के पद पर नहीं होना चाहिए।

एफ) प्रत्याशी को ऐसे सनदी लेखाकार फर्म का साझेदार नहीं होना चाहिए जो वर्तमान में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो।

जी) प्रत्याशी को ऐसे सनदी लेखाकार फर्म का साझेदार नहीं होना चाहिए जो जिस बैंक के चुनाव के लिए नामांकन किया गया है उसमें वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के साथ सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो।

(v) **अवधि**– निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा और वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा: बशर्ते वह निदेशक लगातार या अलग-अलग समय पर 6 वर्ष से अधिक समय तक निदेशक के रूप में सेवा नहीं देगा।

(vi) व्यावसायिक प्रतिबंध

ए) प्रत्याशी का संबंधित बैंक के साथ न ही व्यावसायिक संबंध होना चाहिए और न ही उसे ऐसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए जो उस बैंक के व्यावसायिक हितों को (विधिक सेवाएं, सलाहकार सेवाएं आदि सहित) नुकसान पहुंचाए।

बी) प्रत्याशी का बैंक या किसी अन्य बैंक की होल्डिंग नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंसियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के साथ पेशेवर संबंध नहीं होना चाहिए।

बशर्ते कि निर्वाचन के लिए नामांकन दर्ज करते समय प्रत्याशी का बैंक के साथ ऐसा संबंध मद (बी) के तहत अपेक्षा को पूरा करता है, प्रत्याशी समिति के समक्ष यह घोषणा प्रस्तुत करेगा कि यदि निदेशक के रूप में उसका निर्वाचन होता है तो बैंक के साथ ऐसे

Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.).

(f) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.

(g) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the bank in which nomination for election is filed.

(v) **Tenure** – An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years, whether served continuously or intermittently.

(vi) Professional Restrictions –

(a) The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that bank.

(b) The candidate should not be having any professional relationship with a bank or any Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other bank.

Provided that a candidate having any such relationship with a bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Committee that such relationship with the bank shall be severed if he is elected as a

संबंध से अलग हो जाएगा और निर्वाचन पश्चात बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पहले ऐसे संबंध से अलग हो जाएगा।

(vii) ट्रेक रिकॉर्ड तथा निष्ठा – प्रत्याशी को किसी विनियामक या पर्यवेक्षक प्राधिकारी/ एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी से प्रतिकूल नोटिस न दिया गया हो और उसे किसी ऋणदाता संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

बैंकों को निर्वाचित निदेशक से निम्नलिखित प्राप्त करना चाहिए:

- ए) ऐसे व्यक्ति के निदेशक पद धारण करने से पहले संलग्न निर्धारित प्रारूप में निष्पादित प्रसविदा विलेख;
- बी) प्रति वर्ष 31 मार्च को एक सामान्य घोषणापत्र जिसमें यह उल्लिखित हो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले उपलब्ध कराई गई सूचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- सी) यदि निर्वाचित निदेशक द्वारा सूचित किया जाता है कि पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूचना में परिवर्तन हुआ है, तो बैंक ऐसे निदेशक से नया अनुलग्नक प्राप्त करेगा जिसमें ऐसे परिवर्तनों को शामिल किया गया हो।

बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि:

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन किया जाता है। साथ ही,

- ए) निर्वाचित सीए निदेशक उसकी फर्म के ग्राहकों के उचित प्रकटीकरण और उसके स्वयं/ फर्म के ग्राहकों से संबन्धित बैंक के क्रेडिट/ निवेश संबंधी निर्णयों में सहभागिता न करने सहित सुरक्षा उपायों की एक प्रणाली बनाएं। निर्वाचित सीए निदेशक के लिए यह आवश्यक हो जाना चाहिए कि वह पूरी प्रक्रिया से स्वयं को अलग रखें और इस आशय से एक प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करें।
- बी) निर्वाचित निदेशक के लिए यह आवश्यक है कि वह निदेशक के रूप में व्यक्तिगत रूप से स्वयं को उन संस्थाओं सहित जिनमें वह रुचि रखते हैं, से दूर रखते हुए तथा बैंक के क्रेडिट/ निवेश निर्णयों में प्रतिभागिता न करते हुए व्यावसायिक संस्थाओं में अपने हितों और डायरेक्टरशिप का पूर्ण और उचित प्रकटीकरण करें।
- सी) ऐसे निदेशक के रूप में पद छोड़ने के बाद दो साल की अवधि के लिए उस व्यक्ति को, जिसे उस बैंक का निदेशक चुना गया है, कोई व्यावसायिक कार्य आवंटित नहीं किए जाएं।

director, and upon being elected, severs such relationship before appointment as a director of the bank.

(vii) **Track record and integrity** - The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

The banks shall obtain from the elected director:

- (a) a Deed of Covenant executed in the format annexed in prescribed format, before such person assumes office of director;
- (b) a simple declaration every year as on 31st March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.
- (c) Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh Annexure incorporating the changes.

The banks shall also -

Ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. In addition,

- (a) Put in place a system of safeguards, including proper disclosure of the elected CA director's/his firm's clients, and not participating in bank's credit/investment decisions involving his/firm's clients. The elected CA director should be required to compulsorily dissociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect.
- (b) Require the elected director to make a full and proper disclosure of his interests and directorships in business entities, with the director personally distancing himself from and not participating in the bank's credit/investment decisions involving entities in which he is interested.
- (c) Not allot any professional work to a person who was an elected director of that bank, for a period of two years after demitting office as such director.

जहां निर्वाचित निदेशक:

- (ए) निम्नलिखित संबंध में विफल रहते हैं
- (i) प्रतिज्ञा या घोषणा पत्र का डीड प्रस्तुत करने में; या
 - (ii) उचित प्रकटीकरण करने में; या
 - (iii) जिसमें उसकी रूचि है ऐसे क्रेडिट / निवेश निर्णयों में सहभागिता करने से बचने में
- (बी) अधूरा या गलत प्रकटीकरण करता है, या
- (सी) ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो उसे उपर्युक्त उल्लिखित मानदंड के अनुसार 'उपयुक्त और समुचित नहीं' बनाते हैं।

ऐसे निदेशक को एसबीआई अधिनियम की धारा 19 ए की उपधारा (2)/ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/ 1980 की धारा 9 की उपधारा (3 एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाला माना जाएगा तथा इसके परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

जी. भारत सरकार के दिनांक 25 मार्च, 2015 एवं 20 जुलाई, 2016 के दिशानिर्देश

इसके अलावा, भारत सरकार के पत्र दिनांक 3 सितंबर, 2013 के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार, निदेशक मण्डल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति शेयरधारक निदेशक की "उपयुक्त तथा समुचित स्थिति" का निर्धारण करते समय अशासकीय निदेशकों (एनओडी) के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखेगी। भारत सरकार ने 25 मार्च, 2015 को दिशानिर्देशों में संशोधन किया है तथा अपने पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के साथ पठित दिनांक 8 जुलाई, 2016 के संशोधन द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भेजा है जिसके सार निम्नानुसार है:

ए) सामान्य

1. नामांकन संबद्ध अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
2. नामिति की उपयुक्तता सामान्य शैक्षणिक योग्यता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, निष्ठा आदि की शर्तों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। सत्यनिष्ठा तथा उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति, वैयक्तिक कर्जों के लिए की गई दीवानी कार्रवाई, व्यावसायिक निकायों में प्रवेश की अनुमति न देना या वहां से निकाल देना, विनियामकों तथा ऐसे ही निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध तथा पिछली संदेहात्मक व्यवसाय व्यवहारों आदि को आधार बनाया जाना चाहिए।

Where the elected director:

- (a) fails to
- (i) submit the Deed of Covenant or declaration; or
 - (ii) make proper disclosures; or
 - (iii) refrain from participating in credit/investment decisions, where he is interested; or
- (b) makes incomplete or incorrect disclosures, or
- (c) involves in such activities that render him/her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned above,

such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (2) of section 19A of the SBI Act / sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and shall be liable for the consequences thereof.

G. GOI GUIDELINES DATED 25th MARCH 2015 & DATED 20th JULY 2016

As advised by GOI, vide its letter dated 3rd September 2013 the Nomination and Remuneration Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non Official Directors (NOD), while determining "Fit and Proper Status" of the Shareholder Director also. The GOI has forwarded revised guidelines dated 25th March 2015 to Public Sector Banks vide its letter dated 28th April 2015 read with amendments dated 8th July 2016, the gist of which is as under:

a) General

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualifications and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

बी) अनुभव

1. सामान्यतः कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग एवं आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा। उद्योग में वरिष्ठ पद पर 20 वर्ष के अनुभव, संबंधित क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञता (प्रतिष्ठित संगठन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया हो, किसी घाटे में चल रहे संगठन को उबारकर मुनाफे में लाया हो) को वरीयता दी जाएगी।
2. सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, जिनका कुल अनुभव 20 वर्ष का हो और संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर पर न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद। पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों/ कार्यपालक निदेशकों की उस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के बोर्ड में, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं, अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक, जो अभी सेवा में हैं, की किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के निदेशक मण्डल में अशासकीय निदेशक (एनओडी) के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. प्रमुख बैंकिंग प्रबंधन संस्थानों के शिक्षाविद निदेशक और प्रोफेसर जिन्हें 20 वर्ष से अधिक का अनुभव हो।
4. 20 वर्ष का अनुभव (ऑडिट अनुभव के अलावा) रखने वाले सनदी लेखाकारों को भी वरीयता दी जाएगी।
5. हालांकि, मामले की मेरिट के आधार पर विशिष्ट मामलों में वित्तमंत्री के अनुमोदन से अनुभव संबंधी मानदंडों में छूट दी जा सकती है।
6. जहां तक संभव हो, महिलाओं तथा एससी/एसटी समुदाय के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

सी) शिक्षा

अशासकीय निदेशक (एनओडी) को किसी भी वर्ग में विशेषतः व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता के साथ कम से कम स्नातक होना चाहिए।

b) Experience

1. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
2. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.
3. Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.
4. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.
5. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.
6. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

c) Education

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

डी) आयु

निदेशक की आयु, सर्च/ नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई सिफारिश की तारीख को 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ई) कार्य अनुभव

पेशेवर व्यक्तियों/शिक्षाविदों को अपने विशिष्ट क्षेत्र में सामान्यतः 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

एफ) अयोग्यता

- i. यदि कोई निदेशक पहले से ही किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी बैंक/ वित्तीय संस्था (एफआई)/ भा.रि.बै/ बीमा कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यरत हो, तो किसी अन्य बैंक/ वित्तीय संस्था/ भा.रि.बै/ बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में उसके नामांकन पर विचार न किया जाएगा।
- ii. किराया खरीद, वित्त पोषण निवेश, पट्टा या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए व्यक्ति एम पी, एमएलए, एमएलसी तथा स्टॉक ब्रोकर को बैंकों /वित्तीय संस्थाओं/ भा.रि.बै/ बीमा कंपनियों के निदेशक मंडल में अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। किराया खरीद, वित्त पोषण, निवेश, पट्टा या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए निवेशकों को अशासकीय निदेशक(एनओडी) की नियुक्ति से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यदि उनका ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है।
- iii. किसी भी व्यक्ति को, जो पहले किसी बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बै./ बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में लगातार किसी भी श्रेणी में दो कार्यकाल या 6 वर्ष, जो भी अधिक हो, के लिए निदेशक के रूप में सेवा कर चुका है, उसे एनओडी के रूप में पुनः नामांकित नहीं किया जा सकता है।
- iv. कोई सनदी लेखाकार, यदि उसकी फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो।
- v. कोई सनदी लेखाकार यदि उसकी फर्म किसी बैंक में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो।

जी) अवधि

किसी भी एनओडी को बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बै./ बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामांकित नहीं किया

d) Age

The age of the Director, on the date of recommendation by Search/Nomination and Remuneration Committee should not be more than 67 years.

e) Work Experience

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

f) Disqualifications

- i. A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/FI/ RBI/Insurance Company.
- ii. Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/ FIs/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.
- iii. No person may be re-nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
- iv. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor.
- v. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in the Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor.

g) Tenure

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/

जाएगा, यदि ऐसे निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं./ बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में 6 वर्षों के लिए लगातार या अलग-अलग समय पर एनओडी/शेयर धारक निदेशक रह चुके हैं।

एच) व्यावसायिक प्रतिबंध

राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10(डी) के अंतर्गत किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में लाभ के कार्यालय के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिबंध के मामलों का अलग से परीक्षण किया जा सकता है।

आई) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल में देश के सभी छः क्षेत्रों - उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य तथा उत्तर-पूर्व से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

एच. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर, बैंक के प्रधान कार्यालय में केवाईसी-एएमएल विभाग, प्रधान कार्यालय, 7वां तल, बड़ौदा भवन, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा- 390007 में **शुक्रवार, 19 अप्रैल, 2024 से बुधवार, 15 मई, 2024 तक** सभी कार्य दिवसों (दूसरे एवं चौथे शनिवार, रविवार, बैंक अवकाश के अलावा) अर्थात् सोमवार से शुक्रवार तथा पहले और तीसरे शनिवार को दोपहर **2:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक** शेयरधारकों के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा ताकि प्रत्याशी शेयरधारकों के रजिस्टर के किसी भाग से वांछित सूचना प्राप्त कर सकें।

यदि कोई शेयरधारक उपर्युक्त की प्रति या चयनित/ अंश की कंप्यूटर द्वारा मुद्रित प्रति चाहता है तो उसे संबद्ध अंश के प्रत्येक 1000 शब्दों अथवा उसके भाग हेतु रु. 5/- की दर से राशि का भुगतान करने पर प्रदान किया जाएगा।

आई. शेयरधारकों की सूची

जैसा कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998 के विनियम 64 में दिया गया है, यथासंशोधित शेयरधारकों की सूची की एक प्रति (इलेक्ट्रॉनिक रूप में) बैंक के वडोदरा स्थित प्रधान कार्यालय में, **शुक्रवार, 19 अप्रैल, 2024 से बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पक्ष में वडोदरा में देय किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी रु. 50,000/- (केवल पचास हजार रुपए) के मांग ड्रॉफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से भुगतान करने पर**

Insurance Company if such Director has already been a NOD / Shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

h) Professional Restriction

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks Scheme (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

i) Regional Representation

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country – North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

H. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection by the Shareholders, at the Head Office of the Bank with the office of the Bank of Baroda, KYC AML Dept., 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 on all working days from **Friday, 19th April 2024 to Wednesday, 15th May 2024** (other than Second and Fourth Saturdays, Sundays and Bank Holidays) i.e., Monday to Friday and first and third Saturdays between **2.00 pm to 4.00 pm** for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on payment at the rate of Rs.5/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

I. LIST OF SHAREHOLDERS

As provided in Regulation 64 of the Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form) will be available at the Head Office, Vadodara / Corporate Office, Mumbai of the Bank from **Friday, 19th April 2024** for purchase by Shareholders on payment of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) by Demand Draft/Pay Order of Scheduled

शेयरधारकों द्वारा खरीद हेतु उपलब्ध होगी। इच्छुक अभ्यर्थी को उक्त सूची खरीदने के लिए एक अनुरोध पत्र मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा- 390007 / कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051 को इस वचन-पत्र के साथ देना होगा कि इस सूची का उपयोग चुनाव में प्रचार के लिए किया जाएगा तथा उसका कोई और उपयोग नहीं किया जाएगा।

जे. निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन

निदेशक के रूप में चुनाव के लिए अभ्यर्थी का नामांकन निम्न शर्तों के अध्यक्षीन स्वीकार्य होगा:

- ए) विनियमों के विनियम 65 की शर्तों के अनुसार वह विनिर्दिष्ट / अंतिम तारीख शुक्रवार, 12 अप्रैल, 2024 को बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का शेयरधारक हो और बैठक की तारीख तक और उसके बाद यदि चुन लिया जाता है तो उसके कार्यकाल के बाद भी उसे न्यूनतम 100 शेयरों का शेयरधारक होना चाहिए।
- बी) उक्त अधिनियम के अंतर्गत निदेशक निर्वाचित करने के लिए नामांकन लिखित रूप में किया गया हो और वह कम से कम एक सौ पात्र शेयरधारकों अथवा यथाविधि उनके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते, कि नामांकन यदि किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा किया गया हो, जो एक कंपनी है और उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा संकल्प पारित किया गया हो, तो संकल्प पारित करने वाली बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की एक प्रति, जिसे सत्यप्रति के रूप में अभिप्रमाणित किया गया हो, मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा- 390007/ कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051 को भेजी जाएगी और ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।
- सी) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा किए गए वैध नामांकन के साथ किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा सब रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेंस अथवा किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के

Bank or direct credit in favor of "Bank of Baroda". The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051** with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

J. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

The nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

- a) In terms of Regulation 65 of the Regulations, he / she is a Shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on **Friday, 12th April 2024** being the **Specified/Cut-Off Date** of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- b) The valid nomination in writing signed by at least **One Hundred Shareholders** entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by Shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall be dispatched to the Head Office / Corporate Office of the Bank addressed to the **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051** and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- c) The valid nominations by the Shareholders (Minimum 100) are to be accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen

किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित नोटिस में दिए गए नामांकन एवं घोषणा के नमूने के अनुसार यह घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन को स्वीकार करता है और निर्वाचन में खड़े होने के लिए इच्छुक है और यह कि वह अधिनियम अथवा विनियम अधिनियम अथवा उक्त योजना अथवा विनियमों या भारत सरकार के लागू दिशानिर्देशों के तहत निदेशक के लिए अयोग्य नहीं है और साथ ही वह अपने व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) को उपयुक्त रूप में हस्ताक्षरित करते हुए और यह प्रतिज्ञा करते हुए घोषणा करेगा कि यह विवरण उसके अधिकतम ज्ञान व जानकारी में सत्य व उपयुक्त है और साथ ही यह भी शपथ पत्र देगा कि वह बाद में भी ऐसे मामलों में जो सूचना, तदनुसृत घोषणा की दृष्टि से प्रासंगिक है, उससे बैंक को पूरी तरह अवगत कराएगा।

- डी) वह नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख अर्थात् **मंगलवार, 30 अप्रैल, 2024** तक बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 या बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1998 (जैसा कि अब “विनियम” के रूप में संदर्भित होगा) के अंतर्गत अयोग्य न हो और उसके बाद वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अशासकीय निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में 25 मार्च, 2015 तथा 20 जुलाई, 2016 को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों अथवा निदेशक के चुनाव के संबंध में समय-समय पर जारी ऐसे अन्य निर्देशों के साथ पठित, भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीआर नियुक्ति सं.: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 के अनुसार निदेशक मण्डल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा ‘**उपयुक्त एवं समुचित**’ पाया गया हो।
- ई) नामांकन पत्र और घोषणा पत्र विनियमों के द्वारा निर्धारित हैं और नोटिस के साथ **संलग्न प्रारूप में** दिए गए हैं। (यह प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर भी उपलब्ध है।)

के. नामांकन फार्म की प्रस्तुति :

शेयरधारकों में से केंद्र सरकार को छोड़कर, बैंक के निदेशक हेतु चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में विधिवत भरे हुए निम्नलिखित दस्तावेज **सीलबंद लिफाफे में** जिस पर ‘**बैंक ऑफ़ बड़ौदा निदेशक का चयन- मई 2024**’ लिखा हो,

form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

- d) As on **Tuesday, 30th April 2024**, being the last date for receipt of nominations, he / she is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as “the Regulations”) and thereafter has been found “Fit and Proper” by the Nomination and Remuneration Committee of the Board in terms of the Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 of Reserve Bank of India read with Guidelines dated 25th March 2015 and 20th July 2016 issued by the Government for Non Official Directors of the Public Sector Banks or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director.
- e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation as per the **proforma annexed** to this notice (The proforma is also available on the Bank’s website: www.bankofbaroda.in)

K. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the Shareholders, other than the Central Government, should submit

उसे व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक/कुरियर के माध्यम से मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन) को संबोधित करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा-390 007 / कंपनी सचिव, बैंक ऑफ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051 को असाधारण आम बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम 14 कार्य दिवस पूर्व अर्थात् मंगलवार, 30 अप्रैल, 2024 को सायं 4:00 बजे तक या इससे पूर्व प्रस्तुत कर देना चाहिए।

- ए) विधिवत रूप से भरा गया घोषणा पत्र
- बी) निर्वाचन में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम 100 शेयरधारकों से वैध नामांकन फॉर्म
- सी) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा पत्र तथा वचन पत्र के साथ-साथ संबंधित दस्तावेज, प्रमाण-पत्र अर्थात् स्व-प्रमाणित बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, बैंक के लिए उपयुक्त अनुभव आदि की प्रतियां संलग्न हो।
- डी) उक्त नामांकन फार्म व अन्य दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए और ऐसा न होने पर नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है।

एल. नामांकनों की जांच तथा निदेशकों का चुनाव

- ए) नामांकनों की जांच नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्रथम कार्य दिवस को अर्थात् गुरुवार, 02 मई, 2024 को बैंक द्वारा नामांकनों की स्वीकार्य नियम एवं विनियमों के तहत की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसका कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- बी) वैध नामांकन भी भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मण्डल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)/ निदेशक मंडल, जैसा भी मामला हो, द्वारा जांच किए जाने के अधीन होगी। चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा लागू किए गए प्रतिबंध समान स्वरूप के हैं, अतः बैंक अभ्यर्थियों के उपयुक्त एवं समुचित स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों में से जो अधिक सख्त हों, उस पर विचार कर सकता है।

following documents in formats annexed to this notice, in a **sealed envelope** superscribing thereon **“Bank of Baroda Election of Director – May 2024”** in person or through Regd. Post / Courier addressed to the **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051** so as to reach on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the EGM i.e., on or before **4.00 p.m., on Tuesday 30th April 2024:**

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Valid Nomination Forms minimum of hundred Shareholders entitled to participate in the election;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, **viz. self-attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience relevant to the Bank, etc.,**
- d) The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

L. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

- a) Nominations shall be scrutinized on **Thursday, 02nd May 2024**, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations in terms of applicable laws and regulations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- b) Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) of the Board / Board of Directors, as the case may be, in terms of the RBI Directions and GOI Guidelines. As restriction imposed by RBI Direction and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates.

- सी) बैंक नामांकन की जांच के समय या/बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति/ निदेशक मंडल द्वारा सूचित किए अनुसार उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी से संबंधित अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेजों की मांग कर सकता है।
- डी) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा जांच किए जाने के बाद, यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्ति हेतु केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त होता है तो इस प्रकार नामित प्रत्याशी का नाम ईजीएम में बैंककारी कंपनी अधिनियम की धारा 9(3)ए के साथ पठित संकल्प सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियमन 25(ए) के अनुसार संकल्प के माध्यम से प्रस्तावित किया जाएगा। जहां केंद्र सरकार के अलावा केवल एक शेयरधारक मतदान करने का हकदार होगा। यदि और केवल तभी, उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा जब उक्त संकल्प बहुमत से पारित हो जाता है। नए चुने गये निदेशक गुरुवार, 16 मई, 2024 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे तथा पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।
- ई) यदि वैध नामांकन की संख्या एक से अधिक हो तो प्रत्याशियों के नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव कराया जाएगा एवं चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले, अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक के दौरान ई-वोटिंग को मिलाकर, प्रत्याशी को निर्वाचित माना जाएगा और उनका नाम बैठक में घोषित किया जाएगा तथा समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।

एम. उम्मीदवारी वापस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह बुधवार, 08 मई, 2024 को बैंक के कामकाज के घंटों की समाप्ति से पहले, अर्थात् शाम 4.00 बजे तक या उससे पूर्व किसी भी समय, मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा- 390 007/ कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051 को संबोधित हस्ताक्षरित पत्र भेज कर या gm.ops.ho@bankofbaroda.com अथवा companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर स्कैन तथा हस्ताक्षरित पत्र का ई-मेल भेजकर अपना नामांकन वापस ले सकता है।

- c) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / the Board of Directors seek further information, documents from the candidates in support of his / her candidature.
- d) After the scrutiny by the Nomination and Remuneration Committee, if there is only ONE valid nomination for one vacancy to be filled by the election, the name of the candidate so nominated shall be proposed by way of a Resolution pursuant to Regulation 25 (2A) of SEBI Listing Regulations read with Section 9(3)(i) of the Banking Companies Act at the EGM, wherein only shareholders other than the Central Government shall be entitled to vote. The candidate shall be declared elected, if and only if, the said Resolution is passed with majority. **The newly elected director will assume office from Thursday, 16th May 2024 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption.**
- e) If there are more than One valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidate having the majority of the votes i.e. aggregate of remote E-voting and E-voting at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced and published in newspapers.

M. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time i.e. **on or before 4.00 p.m. on Wednesday 08th May 2024** by sending a signed letter addressed to **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051** or sending scanned and signed letter over e-mail at gm.ops.ho@bankofbaroda.com; OR alternately companysecretary.bcc@bankofbaroda.com.

एन. विवाद

यदि कोई विवाद उत्पन्न होगा, तो बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998, यथा संशोधित के विनियम 67 के अनुसार उसे निपटाया जाएगा।

ओ. उद्धरण

लागू अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संबद्ध हिस्सों के उद्धरण शेयरधारकों के लाभार्थ बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर प्रदर्शित किए गए हैं। जो शेयरधारक चुनाव लड़ना चाहते हैं वे इसे डाउनलोड कर सकते हैं अथवा इसकी प्रति मंगवाने के लिए बैंक के कंपनी सचिव companysecretary.bcc@bankofbaroda.com को लिख सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं।

पी. निदेशकों का हित

बैंक के निदेशक उनकी शेयरधारिता की सीमा तक तथा ऐसे निदेशक जिन्होंने नामांकन दर्ज किए हैं, कार्यवाही की उक्त मर्दों से उन्हें सरोकार है या उसमें उनका हित है, ऐसा समझा जाएगा।

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा



देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई

दिनांक : 3 अप्रैल, 2024

N. DISPUTES

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended.

O. EXTRACTS

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification/ GOI Guidelines are posted on Bank's website: www.bankofbaroda.in for the benefit of the Shareholders. Shareholders desirous of contesting elections may download the same or write to the Company Secretary of the Bank at companysecretary.bcc@bankofbaroda.com and obtain the same.

P. INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid items of business.

By Order of the Board of Directors
For BANK OF BARODA



Debadatta Chand
Managing Director & CEO

Place : Mumbai

Date : 3rd April, 2024

नामांकन फार्म

प्रति,
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
प्रधान कार्यालय,
वडोदरा.

प्रिय महोदय,
निदेशक का चुनाव

आपके दिनांक _____ 2024 के नोटिस के संदर्भ में, मैं श्री/सुश्री बैंक ऑफ़ बड़ौदा का शेयरधारक, शुक्रवार, 12 अप्रैल, 2024 अर्थात् निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट/ कट ऑफ तारीख को प्रत्येक रु. 2/- के इक्कटी शेयरों का धारक, एतद् द्वारा श्री/सुश्री सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी निवासी को बुधवार, 15 मई, 2024 को होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) में दिए गए प्रावधान के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु नामित करता हूँ/करती हूँ.

नाम	
हस्ताक्षर	
धारित शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अभौतिक रूप में न हो)	
डी.पी. आई.डी. नं. एवं ग्राहक आई.डी. नं. (यदि अभौतिक रूप में हो.)	
स्थान	
तारीख	

टिप्पणी :

- ए) यदि नामांकन किसी कॉर्पोरेट निकाय शेयरधारक द्वारा किया गया हो, तो नामांकन फार्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए और उस पर, जिस बैठक में इसे पारित किया गया हो, उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए.
- बी) प्रत्याशी का नामांकन करने वाले शेयरधारक के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए.
- सी) यदि उपर्युक्त में से कोई कॉलम रिक्त छोड़ा गया या विवरण असत्य पाया गया तो नामांकन रद्द किया जा सकता है.

Sr. No.

NOMINATION FORM

To
Managing Director & CEO,
Bank of Baroda
Head Office,
Vadodara.

Dear Sir,
ELECTION OF DIRECTOR

With reference to your EGM Notice dated _____ 2024, I, a Shareholder of Bank of Baroda holding equity shares of Rs. 2/- each fully paid up as on **Friday, 12th April 2024** i.e., the Specified/ Cut-Off Date for participating in the Election, do hereby nominate Shri / Smt. son / daughter / wife ofresiding at for being elected as a Director of Bank of Baroda representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on **Wednesday, 15th May 2024**.

Name	
Signature	
No. of Shares Held	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:

- In case nomination is made by a Shareholder who is a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed at the meeting of the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- Signature of the Shareholder nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.
- If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

घोषणा पत्र

मैं, श्री/श्रीमती सुपुत्र/ सुपुत्री/ पत्नी/ श्री/ श्रीमती निवासी

..... एतद्वारा पुष्टि करता / करती हूँ कि :-

ए) मैं शुक्रवार, 12 अप्रैल, 2024 अर्थात् निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट/ कट ऑफ तारीख को बैंक के रु. 2/- प्रति शेयर वाले इक्विटी शेयरों का शेयरधारक हूँ और घोषणा करता/ करती हूँ कि यदि बैंक के निदेशक के रूप में चुन लिया जाता/ जाती हूँ, तो उसकी अवधि की समाप्ति तक शेयरधारिता रखूंगा/रखूंगी.

बी) मुझे* (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग अथवा अन्य किसी विषय, सूचना प्रौद्योगिकी/ भुगतान एवं निपटान प्रणाली/ मानव संसाधन/ जोखिम प्रबंधन/ व्यवसाय प्रबंधन आदि का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा और मैं अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं अथवा किसानों, कामगारों और दस्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ/ करती हूँ और उसके साक्ष्य के रूप में, मैं इसके साथ संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ/करती हूँ, और

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

सी) मैं नामांकन क्रमांक स्वीकार करता हूँ/ करती हूँ; और

डी) मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक के निर्वाचन में प्रत्याशी बनना चाहता/ चाहती हूँ; और

ई) मैं, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 के प्रावधानों के अधीन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित अधिसूचना तथा भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अशासकीय निदेशकों के संबंध में जारी मानदंडों के तहत बैंक के निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूँ और

एफ) मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं हूँ; तथा

जी) मैं न कोई लाभ का पद धारण करता हूँ/ करती हूँ अथवा न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का/ की कर्मचारी हूँ.

साथ ही मैं घोषणा करता/ करती हूँ:

एच) मुझे कभी भी दिवालिया करार नहीं किया गया है और मैंने कभी भी अपने लेनदारों का भुगतान नहीं रोका या प्रशमन नहीं किया है; तथा

आई) मुझे कभी भी विक्षिप्त नहीं पाया गया है और न ही कभी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है और न ही कभी नैतिक भ्रष्टा के किसी जुर्म में किसी अपराधिक न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया है; तथा

जे) मुझे कभी किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायायिक दंडाधिकारी या उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है; तथा

के) मैं चयन होने के पश्चात बैंक के साथ अपने पेशेवर रिश्ते, यदि कोई हो, को समाप्त करूंगा/ करूंगी तथा बैंक के साथ निदेशक के रूप में अपनी कार्यभार अवधि के दौरान और उसके बाद के दो वर्षों की अवधि के लिए कोई पेशेवर रिश्ता नहीं रखने का वचन देता/ देती हूँ.

एल) मैं पहले भी किसी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्था या किसी बीमा कंपनी या एनओएफएचसी धारक किसी अन्य बैंक के बोर्ड में निदेशक मंडल में निदेशक नहीं हूँ.

एम) मैं किसी किराया खरीद, वित्तपोषण, राशि उधार देने, निवेश, लिजिंग तथा अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा हुआ / जुड़ी हुई नहीं हूँ;

एन) मैं पहले भी किसी बैंक/ वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ किसी बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक मंडल में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत लगातार या अलग-2 समय पर -6- वर्षों के लिए निदेशक नहीं रहा/ रही हूँ.

ओ) मैं स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार में शामिल नहीं हूँ.

पी) मैं सांसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों से तात्पर्य ऐसे निकाय अर्थात् अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि) का पद पर कार्यरत नहीं हूँ.

क्यू) मैं सांविधिक केन्द्रीय लेखा परिक्षक के रूप में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के साथ वर्तमान में कार्य कर रहे किसी सनदी लेखाकार फर्म में भागीदार नहीं हूँ.

आर) मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहे सनदी लेखाकार फर्म में भागीदार नहीं हूँ जिसमें चुनाव के लिए नामांकन प्रस्तुत किया गया है।

एस) मेरा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध है (विधिक सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) और न ही मैं उन गतिविधियों में शामिल हूँ, जिसके परिणामस्वरूप बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है।

टी) मेरा किसी बैंक या किसी एनओएफ़एचसी धारक कोई अन्य बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है और निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण से पहले निर्वाचित होने पर बैंक के साथ संबंध को समाप्त करने का वचन लेता/ लेती हूँ।

यू) मैं किसी विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/ एजेंसी या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूँ और मैं किसी भी उधार देने वाली संस्था का चूककर्ता नहीं हूँ।

वी) मैं निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले नियम पत्र विलेख (भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 02.08.2019 के निर्धारित प्रारूप में) निष्पादित करने का वचन देता/ देती हूँ;

डबल्यू) मैं बैंक को पूरी तरह से, यथाशीघ्र, घटनाओं, यदि कोई हो, जो इस घोषणा के बाद होने वाली जानकारी से संबंधित है, जो कि सूचना प्रदान करने के लिए प्रासंगिक है, और बैंक के निदेशक के रूप में मेरे चयन पर नियम पत्र विलेख निष्पादित करने का वचन देता/ देती हूँ; तथा

एक्स) मैं, सेबी (सूचीयन करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 यथा संशोधित के संबंधित प्रावधानों को बैंक में निदेशक बने रहने तक पालन करूंगा/ करूंगी।

वाई) मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा/ रही हूँ जो कि मेरी अधिकतम जानकारी में और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं।

जेड) मैं अन्य कंपनी/ बैंक में वर्तमान में तथा पहले रहे अपने निदेशक कार्यकाल का विवरण नीचे दे रहा/ रही हूँ:

कंपनी/बैंक का नाम	निदेशक के रूप में विवरण अर्थात् कार्यकाल, निदेशक के पद का स्वरूप, अवधि आदि

(आवश्यक हो तो अतिरिक्त शीट लगाएं)

एए) मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा/ रही हूँ जो कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं।

नाम	
हस्ताक्षर	
मोबाइल नंबर	
ई-मेल आईडी	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अभौतिक न हो)	
डीपी आईडी नं. एवं ग्राहक आईडी नं. (यदि अभौतिक हो)	
स्थान	
तारीख	

उम्मीदवार इस घोषणापत्र में दिए गए विवरण को डिलीट/संशोधित कर सकते हैं

उपर्युक्त घोषणा पत्र पर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया है।

हस्ताक्षर

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या एश्वोरेंसस के उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित/ अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या बैंक ऑफ़ बड़ौदा या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर।

DECLARATIONS

I, son/daughter/wife of Shri/Smt..... resident of.....
.....
.....hereby confirm that :

- a. I am a Shareholder holding equity shares of Rs.2/- each of the Bank as on Friday, **12th April 2024**, i.e., the Specified/Cut-Off Date for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;
- b. *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, or any other matter the special knowledge of IT/Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management etc. and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and

(*Delete whichever is not applicable.)

- c. I accept the nominations numbering; and
- d. I am willing to contest for the election of Director of BANK OF BARODA; and
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Bank of Baroda General (Shares & Meetings) Regulations, 1998 as amended, relevant Notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks and
- f. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and
- g. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

I further declare that :

- h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and
- i. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and
- j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and
- k. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- l. I am not a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.
- m. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities;
- n. I have not served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
- o. I am not engaging in the business of stock broking.
- p. I am not holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.)
- q. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalized bank or State Bank of India.

- r. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Bank of Baroda in which nomination for election is filed.
- s. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Bank of Baroda nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Bank of Baroda.
- t. I am not having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank and undertake sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a director.
- u. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.
- v. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI Directions dated 02.08.2019) before assuming office as a director;
- w. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and
- x. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and
- y. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects, and
- z. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies / banks:

Name of the Company / Bank	Directorship details viz. tenure, nature of directorship, period etc.

(add additional rows / sheets if necessary)

- aa. I enclose my personal details which are to the best of knowledge and belief true and complete in all respects; and

Name	
Signature	
Mobile Number	
Email ID	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

Note: Candidates may delete / modify the statement/s contained in this declaration.

The above declaration was signed before me.

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Bank of Baroda or any Nationalized Bank.

बैंक का नाम: बैंक ऑफ़ बड़ौदा
प्रस्तावित निदेशक द्वारा घोषणा एवं वचनपत्र
(उपयुक्त अनुलग्नकों सहित)

यहां पासपोर्ट साइज
फोटो चिपकाएं

दिनांक2024 को उपयुक्त अनुलग्नकों सहित प्रत्याशी द्वारा घोषणा एवं वचनपत्र

I प्रत्याशी का व्यक्तिगत विवरण				
ए	नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
बी	वर्तमान पता			
सी	राष्ट्रीयता			
डी	जन्म तिथि (तिथि/माह/वर्ष) और उस तारीख को आयु	-- / -- / -- आयु: -- वर्ष -- माह -- दिन		
ई	शैक्षणिक योग्यताएं			
एफ	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)			
जी	आधार संख्या			
एच	(i) स्थायी खाता संख्या(पैन): (ii) आयकर सर्कल/वार्ड का नाम और पता, जहां प्रस्तावित निदेशक की कर (आयकर अधिकार क्षेत्र) फाइल की जाती है : (iii) पिछले 3 वर्षों के लिए फाइल की गई विवरणी (यों) और करों के भुगतान का विवरण	फाइल करने की तारीख	भुगतान की गई कर की राशि (रुपए में)	
आई	स्थायी पता			
जे	ई-मेल का पता/ वैकल्पिक ई-मेल का पता: एसटीडी कोड सहित दूरभाष संख्या: मोबाइल संख्या:			
के	संबद्ध ज्ञान तथा अनुभव [• बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2), • बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3ए) • बैंकिंग कंपनियों के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.एपीपीटी.बीसी सं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के साथ पठित एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 19ए(ए), जैसा भी मामला हो, का संदर्भ लें.]			
एल	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव के संबंध में संक्षिप्त विवरण)			
एम	जहां कार्य किया है उस संगठन(नों) का पूरा पता, नियुक्ति की तारीख, अवमुक्ति की तारीख (कारणों सहित), पदनाम आदि सहित विगत न्यूनतम दस वर्षों को शामिल करते हुए पिछला व्यवसाय.			

एन	सनदी लेखकार के मामले में, निम्नलिखित सूचना दें: (i) आईसीएआई की सदस्यता संख्या (ii) भारतीय सनदी लेखकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ पंजीकरण की तारीख (iii) पंजीकृत फर्म/फर्मों का नाम और पता (iv) फर्म/फर्मों द्वारा वर्तमान में किए गए लेखा परीक्षण / परीक्षणों के विवरण									
ओ	शाखा और खाता संख्या (बचत / चालू / ऋण खाते) सहित बैंक(रों) का नाम जहां वह प्राथमिक खाता धारक है. डीमैट खाता(ते) यदि कोई हो, तो उसका विवरण (प्रति संलग्न करें)	<table border="1"> <tr><td>बैंक का नाम</td></tr> <tr><td>शाखा</td></tr> <tr><td>खाते का प्रकार</td></tr> <tr><td>खाता संख्या</td></tr> </table>	बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या				
बैंक का नाम										
शाखा										
खाते का प्रकार										
खाता संख्या										
पी	सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) से व्यापक क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सभी मॉड्यूल सहित)									
क्यू	कोई अन्य सूचना जो बैंक के निदेशक मंडल से संबंधित हो									
II प्रस्तावित निदेशक से संबंधित संबंध										
ए	बैंक से जुड़े संबंधियों की सूची, यदि कोई हो [कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उप-धारा (77) और कंपनी (परिभाषा की विशिष्टता) के नियम 2014 के नियम 4 का संदर्भ लें]									
बी	(i) प्रतिष्ठानों की सूची, यदि कोई हो, जिनमें उसका हित निहित रहा हो (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें). बैंकों / एनबीएफसी / कंपनियों / कार्पोरेट निकायों / फर्मों / व्यक्तियों के संघ आदि के नामों का उल्लेख अलग से किया जाना चाहिए. (ii) ऐसी संस्थाएं जिनमें वह लाभकारी स्वामित्व रखता हो/रखती हों [कंपनी अधिनियम, 2013 धाराएं 89 और 90 का संदर्भ लें और एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व संबंधी नियमों का भी संदर्भ लें] (iii) न्यासों की सूची जिसमें न्यासी के रूप में पद ग्रहण किया गया हो.									
सी	प्रस्तावित और मौजूद प्रतिष्ठानों की सूची, जिनमें उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई)* के प्रयोजन के तहत पर्याप्त हित रखने वाले के रूप में माना गया हो. “पर्याप्त हित” (i) एक कंपनी के संबंध में इसका अर्थ, किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों में लाभभोगी हित धारिता, जिस पर अदा की गई रकम 5 लाख से अधिक हो अथवा कंपनी की चुकता (प्रदत्त) पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है, इसमें जो भी कम हो; (ii) एक फर्म के संबंध में इसका अर्थ, किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों में लाभभोगी हितधारिता, जो उक्त फर्मों के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता हो;	<table border="1"> <tr><td>कंपनी/ फर्म का नाम</td></tr> <tr><td>निगमीकरण का क्षेत्र</td></tr> <tr><td>शेयरों की संख्या</td></tr> <tr><td>प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य</td></tr> <tr><td>धारित शेयर का कुल अंकित मूल्य</td></tr> <tr><td>कुल पीयूसी की % शेयर धारिता</td></tr> <tr><td>लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % में)</td></tr> <tr><td>क्या संस्थान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक कंपनी है.</td></tr> </table>	कंपनी/ फर्म का नाम	निगमीकरण का क्षेत्र	शेयरों की संख्या	प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	धारित शेयर का कुल अंकित मूल्य	कुल पीयूसी की % शेयर धारिता	लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % में)	क्या संस्थान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक कंपनी है.
कंपनी/ फर्म का नाम										
निगमीकरण का क्षेत्र										
शेयरों की संख्या										
प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य										
धारित शेयर का कुल अंकित मूल्य										
कुल पीयूसी की % शेयर धारिता										
लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % में)										
क्या संस्थान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक कंपनी है.										
डी	विदेशों में निगमित और भारत में व्यावसायिक स्थल वाले संस्थानों में धारिता									

ई	बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य कंपनी का नाम जिनमें वह बोर्ड का सदस्य/ सलाहकार है अथवा रहा है (उस अवधि का विवरण देते हुए, जिसके दौरान उस कार्यालय का पद ग्रहण किया गया हो/किया गया था)	
एफ	निधि और गैर-निधि सुविधाएं, यदि कोई हो, जिनका उसने और/अथवा उपर्युक्त II (बी) से (डी) में सूचीबद्ध इकाइयों ने वर्तमान में बैंक से उपयोग किया हो.	
जी	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां उसने अथवा उपर्युक्त II (बी) से (डी) में सूचीबद्ध इकाइयों ने बैंक/ किसी अन्य बैंक/ एनबीएफसी/ किसी अन्य ऋणदाता संस्थान से ऋण सुविधाओं की चुकौती में चूक की है अथवा विगत 10 वर्षों में चूक हो चुकी हो.	
एच	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां वह एक चूककर्ता है या किसी बैंक/ एनबीएफसी/ किसी अन्य उधार देने वाले संस्थान द्वारा इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित किया गया है.	
III	व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड	
ए	निदेशक पद से संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियां	
IV	प्रत्याशी के विरुद्ध कार्रवाइयां, यदि कोई हो	
ए	यदि वह किसी व्यावसायिक संस्था/ निकाय का सदस्य है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण यदि कोई विचाराधीन हो अथवा शुरू की गई हो अथवा उसके विरुद्ध पहले दोषसिद्धि के फलस्वरूप हो अथवा क्या वह किसी समय किसी व्यवसाय/धंधे को शुरू करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है.	
बी	पूर्व में उनके और /अथवा उपरोक्त II (बी) और (ई) में सूचीबद्ध किसी इकाई के विरुद्ध आर्थिक कानून और विनियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषसिद्धि के फलस्वरूप लंबित अथवा शुरू किए गए अभियोजनों का विवरण, यदि कोई हो.	
सी	उनके विरुद्ध पूर्व में लंबित अथवा शुरू किए गए अथवा दोषसिद्धि के फलस्वरूप आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
डी	क्या निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अयोग्यताओं के कारण अयोग्य ठहराया गया है	
ई	क्या वह अथवा II (बी) और (ई) में उल्लिखित किसी इकाई को सरकारी विभाग अथवा एजेंसी द्वारा किसी अंवेक्षण के अध्यक्षीन रखा गया है?	
एफ	क्या उनको कभी कस्टम/एक्साइज/आयकर/विदेशी विनियम/ राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है? यदि ऐसा है तो विवरण दें.	

<p>जी</p>	<p>क्या वह कभी सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए आदि जैसे विनियामकों के समक्ष प्रतिकूल नोटिस में आए हैं ?</p> <p>(हालांकि प्रत्याशी द्वारा विनियामकों के ऐसे आदेशों तथा निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना संभव नहीं होगा जो बाद में समग्र निरस्त / प्रत्यावर्तित कर दिए गए, तथापि ऐसे मामलों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा जो न्यायाधिकारिता की सीमितता अथवा अभाव जैसे तकनीकी कारणों और मेरिट पर न होने के कारण प्रतिवर्तित/निरस्त किये गए हों. यदि विनियामक का आदेश अस्थायी रूप से रोक दिया गया हो और अपील/न्यायिक प्रक्रिया लंबित हो तो उसका उल्लेख किया जाना चाहिए)</p>	
<p>V</p>	<p>मद क्र. I से IV के संबंध में अन्य कोई स्पष्टीकरण/सूचना और 'उपयुक्त एवं समुचित' पाए जाने के लिए संबंधित अन्य कोई सूचना.</p>	
<p>वचनपत्र</p> <p>मैं पुष्टि करता/ करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास में सही और पूर्ण है। मैं बैंक को उपरोक्त सूचनाओं से संबद्ध ऐसी सभी घटनाओं, जो कि मेरी नियुक्ति के पश्चात होती हैं, की जानकारी यथासंभव शीघ्र ही उपलब्ध करवाने का वचन देता/देती हूँ. मैं बैंक के लेखापरीक्षा कार्य से खुद को दूर रखने और संस्थाओं जिसमें मैं दिलचस्पी रखता हूँ में शामिल बैंक के ऋण/ निवेश संबंधी निर्णयों में भाग नहीं लेने का वचन देता/देती हूँ.</p> <p>मैं बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले वचन विलेख को निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूँ.</p>		
<p>स्थान: दिनांक: प्रत्याशी के हस्ताक्षर</p>		
<p>अनुलग्नक: नोट: जहां पर्याप्त जगह न हो, वहां क्रमानुसार अनुबंध में समुचित संदर्भ के साथ सूचना संलग्न करें. प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंधों सहित) पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर होने चाहिए.</p>		
<p>नामांकन और पारिश्रमिक समिति/ नामांकन समिति की राय/टिप्पणी</p> <p>स्थान: दिनांक: अध्यक्ष के हस्ताक्षर</p>		
<p>समिति सदस्य के हस्ताक्षर</p>	<p>समिति सदस्य के हस्ताक्षर</p>	<p>समिति सदस्य के हस्ताक्षर</p>
<p>स्थान: दिनांक:</p>		

Name of Bank: Bank of Baroda

**Declaration and Undertaking by a Proposed Director
(with appropriate enclosures)**

Affix passport size photo here

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _____ 2024

I Personal details of Candidate					
a	Name	First Name	Middle Name	Last Name	
b	Present Address				
c	Nationality				
d	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age as on date	--/--/---- Age: -- years -- months --- days			
e	Educational Qualifications				
f	Director Identification Number (DIN)				
g	Aadhaar Number				
h	(i) Permanent Account Number (PAN): (ii) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction) / name and address of Income Tax Circle / Ward: (iii) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years	Date of filing	Amount of tax paid (INR)		
i	Permanent Address				
j	E-mail Address/ Alternate e-mail Address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:				
k	Relevant Knowledge and Experience [Refer • Section 10A(2) of Banking Regulation Act, 1949, • Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 • Section 19A(a) of the SBI Act, 1955, as the case may be, read with RBI Circular DBR. Appt. BC No. 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 on Special knowledge or practical experience useful to banking companies]				
l	Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)				
m	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.				

n	In case of a Chartered Accountant, indicate the following: (i) Membership Number of ICAI (ii) Date of registration with the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (iii) Name and Address of the registered firm/s (iv) Details of the Audit/s presently undertaken by the firm/s																	
o	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current /loan accounts) where he/she is the primary account holder. Details of Demat account(s) held if any (attach copy)	<table border="1"> <tr> <td>Name of the Bank</td> </tr> <tr> <td>Branch</td> </tr> <tr> <td>Type of A/c</td> </tr> <tr> <td>A/c Number</td> </tr> </table>	Name of the Bank	Branch	Type of A/c	A/c Number												
Name of the Bank																		
Branch																		
Type of A/c																		
A/c Number																		
P	Comprehensive Credit Information Reports (including all modules) from all the Credit Information Companies (CICs)																	
q	Any other information relevant to Directorship of the Bank																	
II	Relevant Relationships of proposed director																	
a	List of Relatives, if any, who are connected with any bank [Refer Sub-Section (77) of Section 2 of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014]																	
b	(i) List of entities, if any, in which he/she is considered as being interested (Refer Section 184 of the Companies Act, 2013). Names of the banks/ NBFCs/ companies/ bodies corporate/ firms / association of individuals etc. should be mentioned separately. (ii) Entities in which he/she holds beneficial ownership [Refer Sections 89 & 90 of Companies Act, 2013 and also refer to applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA] (iii) List of Trusts in which the position as Trustee is held.																	
c	List of entities, existing and proposed, in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)* of the Banking Regulation Act, 1949. <i>“substantial interest” (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm;</i>	<table border="1"> <tr> <td>Name of the company / firm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>County of incorporation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Number of shares</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Face value of each shares</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total face value of share holding</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Shareholding as % of total PUC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beneficial interest (in value as well as % terms)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Whether the entity is a section 8 company under Companies Act, 2013</td> <td></td> </tr> </table>	Name of the company / firm		County of incorporation		Number of shares		Face value of each shares		Total face value of share holding		Shareholding as % of total PUC		Beneficial interest (in value as well as % terms)		Whether the entity is a section 8 company under Companies Act, 2013	
Name of the company / firm																		
County of incorporation																		
Number of shares																		
Face value of each shares																		
Total face value of share holding																		
Shareholding as % of total PUC																		
Beneficial interest (in value as well as % terms)																		
Whether the entity is a section 8 company under Companies Act, 2013																		
d	Holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India																	

e	Name of Bank/NBFC/any other company in which he / she is or has been a member of the Board / Advisor (giving details of period during which such office is/was held)	
f	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him / her and / or by entities listed in II (b) to (d) above from the bank	
g	Cases, if any, where he/she or entities listed in II (b) to (d) above are in default or have been in default in the past 10 years in respect of credit facilities obtained from the bank/any other bank/ NBFC/any other lending institution.	
h	Cases, if any, where he/she is a defaulter or has been declared as a wilful defaulter by any bank/NBFC/any other lending institution.	
III	Records of professional achievements	
A	Professional achievements relevant for the directorship	
IV	Proceedings, if any, against the Candidate	
a	If the he/she is a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him / her or whether he / she has been banned from entry of at any profession / occupation at any time.	
b	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her and / or against any of the entities listed in II (b) to (e) above for violation of economic laws and regulations	
c	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her	
d	Whether the director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Company's Act, 2013?	
e	Whether he/she or any of the entities at II (b) and (e) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
f	Whether he/she at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	

g	<p>Whether he/she at any time has come to the adverse notice of any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA, etc. <i>(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).</i></p>	
V	<p>Any other explanation / information in regard to items I to IV and other information relevant for judging 'fit and proper'</p>	

Undertaking

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above. I undertake to distance myself from the bank audit work and not participate in the bank's credit/investment decisions involving entities in which I am interested.

I also undertake to execute the Deed of Covenant as required to be executed by all the directors of the bank.

Place :

Date :

Signature of Candidate

Enclosures:

Note:

Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.

Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Observations / Remarks of the Nomination and Remuneration Committee / Nomination Committee:

Place:

Date:

Signature of the Chair

Signature of Committee Member	Signature of Committee Member	Signature of Committee Member

Place :

Date :

